[2022] 18 एस. सी. आर. 762

आशीष शेलर और हमारा।

वी.

महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर.

(2021 की लिखित याचिका (सिविल) No.797)

जनवरी 28,2022

[ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और

सी. टी. रविकुमार, जे.]

भारत का संविधानः कला. 190 (4) , 208 - महाराष्ट्र विधान सभा नियम, 2015-आर. 8 , 53 , 106 - विधान सभा के सदस्य का निलंबन-याचिकाकर्ता, सदस्य

महाराष्ट्र विधान सभा (2019-2024), भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, जो प्रमुख विपक्षी दल है।

महाराष्ट्र विधान सभा के मानसून सत्र की कार्यवाही में सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई क्योंकि विपक्ष के बीच सामान्य भावना विकसित हुई कि सदन का कार्य एकतरफा तरीके से किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए संसदीय मामलों के लिए भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने के लिए

संबंधित (चालू) सत्र का शेष भाग-यह अनुच्छेद के अर्थ में विधानमंडल द्वारा की गई केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता का मामला नहीं है। 212 (1) - उक्त प्रस्ताव कानून की नजर में गैर-कानूनी, अमान्य, असंवैधानिक, मूल रूप से अवैध और तर्कहीन है। आर के तहत। 53 अध्यक्ष से इस शक्ति का प्रयोग केवल सदस्य के "घोर अव्यवस्थित" आचरण के मामले में करने की अपेक्षा की जाती है और प्रावधान करता है

सदन के कामकाज का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा अपनाए जाने वाले श्रेणीबद्ध (तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानक) दृष्टिकोण के लिए-सदन की शेष अवधि से आगे निलंबन।

चालू सत्र न केवल पूरी तरह से तर्कहीन उपाय होगा, बल्कि बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों का भी उल्लंघन होगा-एक साल का निलंबन

विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच किए बिना याचिकाकर्ता को सीधे वापस लेने की "निष्कासन", "अयोग्यता" या "त्यागपत्र" प्रक्रिया से भी बदतर और उन्हें सुनने का अवसर न तो नियमों के भाग XVIII या नियम 53 में निर्धारित किया गया है जो अध्यक्ष को ऐसा करने में सक्षम बनाता है-वास्तव में, निर्वाचन क्षेत्र को अयोग्य या निष्कासित सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है-हालाँकि, उनके प्रतिनिधि को चल रहे विधानसभा सत्र से जुड़ी आवश्यक (तर्कसंगत) अवधि से परे निलंबन की आड़ में सदन से दूर नहीं रखा जा सकता है, जिसमें समय सीमा भी शामिल है। कला में संदर्भित। 190 (4) और एस। 1511951 के अधिनियम का ए-सत्र से परे निलंबन न केवल दंडित करने पर सीमित होगा

संबंधित सदस्य, लेकिन अनिवार्य रूप से उस निर्वाचन क्षेत्र के वैध अधिकारों को भी प्रभावित करता है जहाँ से सदस्य चुना गया था-यह है,

इसलिए, सदन की सीमित अंतर्निहित शक्तियों से परे, अनुशासनात्मक या सुधारात्मक उपाय से अधिक जुर्माना लगाने पर एक कठोर उपाय-इस प्रकार, विवादित प्रस्ताव को कानून में अप्रभावी घोषित किया जाता है, जहां तक कि उक्त सत्र की शेष अवधि के बाद की अवधि जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था-याचिकाकर्ता होने के सभी परिणामी लाभों के हकदार हैं

संबंधित सत्र की शेष अवधि की समाप्ति पर और उसके बाद विधान सभा के सदस्य।

महाराष्ट्र विधान सभा नियम, 2015-आर। 53 - सदस्य को वापस लेने का आदेश देने की शक्ति-इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया -

समझाया गया। शब्द और वाक्यांश - घोर और अव्यवस्थित रूप से निलंबन का अर्थ, सदन के कार्यकरण के संदर्भ में

सत्र।

रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. विवादित प्रस्ताव असंवैधानिक, घोर रूप से अवैध और तर्कहीन होने की बुराई से ग्रस्त है

संबंधित (चल रहे) सत्र के शेष भाग से परे निलंबन की अवधि की सीमा। इसके अलावा, यह संविधान के अनुच्छेद 212 (1) के अर्थ के भीतर विधानमंडल द्वारा की गई केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता का मामला नहीं है। जुलाई 2021 में आयोजित संबंधित मानसून सत्र की शेष अवधि से आगे याचिकाकर्ताओं के निलंबन का निर्देश देने वाला विवादित प्रस्ताव कानून की नजर में अमान्य, अमान्य, असंवैधानिक, [2022] 18 एस. सी. आर. है।

काफी हद तक अवैध और तर्कहीन। विवादित संकल्प है, इस प्रकार, कानून में अप्रभावी घोषित किया गया, जहां तक उससे आगे की अवधि है

उक्त सत्र का शेष भाग जिसमें प्रस्ताव पारित किया जाना था। याचिकाकर्ता शेष संबंधित की अवधि की समाप्ति पर और उसके बाद विधानसभा के सदस्य होने के सभी परिणामी लाभों के हकदार हैं।

जुलाई 2021 में सत्र। [पारस 72,75,76] [822-डी; 824-ई-जी]

अनुच्छेद 13 का अर्थ। राज्य द्वारा यह निवेदन कि नियम न तो वैधानिक नियम हैं और न ही सदन के लिए बाध्यकारी हैं, कोई लाभ नहीं होगा। [पैरा 32,33] [801-ए, बी-सी] 2.2 इस प्रकार बनाए गए नियमों को सदन द्वारा किसी भी समय बदला जा सकता है। हालाँकि, जब तक नियमों में बदलाव नहीं किया जाता है, तब तक सदन आमतौर पर बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा निर्देशित होता है।

व्यवसाय के नियमों के अनुसार। हालाँकि, वर्तमान में यह देखने के लिए पर्याप्त है कि अनुच्छेद 208 के तहत तैयार की गई प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 21 के उद्देश्य के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का दर्जा प्राप्त करती है। इस प्रकार देखा जाए तो, भले ही विधानमंडल के पास नियमों से भटकने का विशेषाधिकार है नियमों में परिवर्तन सहित; तब तक, और अन्यथा भी, संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियमों में "स्पष्ट मूल शर्त" (जो केवल प्रक्रिया नहीं है) और उसमें अंतर्निहित सिद्धांत का पालन करने की उम्मीद की जाती है।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। [पारस 34,35] [801-जी-एच; 802-ए-डी]

2.3 नियमों के तहत निर्धारित व्यवस्था

सदस्य (निलंबन) को वापस लेने का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग करना नियमों के नियम 53 के अंतर्गत आता है। यह नियम न केवल बोलता है

सदन से किसी सदस्य को वापस लेने के कठोर आदेश को पारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में, लेकिन आत्म-सुरक्षा की मूल अनुशासनात्मक या तर्कसंगतता के बारे में भी एक श्रेणीबद्ध (वस्तुनिष्ठ मानक) तरीके से लिया जाने वाला उपाय।

आशीष शेलर और ओआरएस। वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर.

पूर्ववर्ती (प्रक्रिया) का गैर-अनुपालन या विचलन गैर-न्यायोचित हो सकता है। हालांकि, गलती करने वाले सदस्य पर लगाए गए आत्म-सुरक्षा उपाय की मूल अनुशासनात्मक या तर्कसंगतता के संबंध में, न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है

असंवैधानिक, घोर रूप से अवैध और तर्कहीन या मनमाना होने की कसौटी। उपरोक्त नियम के संदर्भ में, अध्यक्ष द्वारा शक्ति का प्रयोग एक अर्ध-न्यायिक आदेश के रूप में किया जाता है जो सदस्य को विधानसभा की बैठकों से हटने का निर्देश देता है। अध्यक्ष से इस शक्ति का प्रयोग केवल उस स्थिति में करने की अपेक्षा की जाती है जब सदस्य का आचरण "घोर अव्यवस्थित" और श्रेणीबद्ध उद्देश्यपूर्ण तरीके से हो। इसका कारण यह सुनिश्चित करना है कि सदन का कार्य, यथास्थिति, दिए गए दिन या चल रहे सत्र पर हो।

एक या अधिक सदस्यों के कदाचार के कारण व्यवस्थित तरीके से और बिना किसी व्यवधान के चलाया जा सकता है। उक्त नियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "घोर अव्यवस्थित" है। "घोर अव्यवस्थित" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है

नियम। स्थूल रूप से ", एक क्रियाविशेषण है और अपेक्षाकृत उच्च स्तर के दुराचार का संकेत है या इसलिए बेहद गलत और विचलित कहने के लिए। [पारस 36-38] [802-D; 803-A-D, F-G]

2.4 अभिव्यक्तियों के अर्थ की समग्रता को लेते हुए

" स्थूल रूप से "और" अव्यवस्थित ", इसका पालन करना चाहिए कि सदस्य का आचरण ऐसा हो कि यह सुचारू या व्यवस्थित रूप से बाधित हो रहा था। सदन का कार्यकरण, और यह ऐसी प्रकृति का भी हो सकता है कि इससे सदन की बदनामी होने की संभावना है। इसमें विभिन्न परिस्थितियाँ शामिल हो सकती हैं और इसलिए, तर्कसंगत सुधारात्मक तंत्र का निहित अभ्यास सर्वोत्कृष्ट है। निलंबन की कार्रवाई या

सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में भाग लेना। किसी दिए गए मामले में, यह निष्कासन के रूप में हो सकता है जो सदन से सदस्य के बहिष्कार का उच्चतम स्तर है। कारावास का आदेश देने की स्थिति में एक और दंडनीय होगा। सदन की अवमानना के कार्य के कारण। नियमों के नियम 53 में एक श्रेणीबद्ध (तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानक) दृष्टिकोण [2022] 18 एस. सी. आर. का प्रावधान है।

सदन के कामकाज का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा अपनाया जाना। वर्तमान मामले में, हालांकि, संसदीय मामलों के मंत्री ने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया

सदन की अवमानना के लिए कार्रवाई शुरू करना, जिसे सभापति ने 14 बजे तुरंत मतदान के लिए रखने की अनुमति दीः 40 उसी पर घंटे

एक दिन और इसे सदन द्वारा कुछ ही समय में बहुमत से पारित कर दिया गया। वास्तव में, यदि यह सदन में घोर अव्यवस्थित व्यवहार का मामला है, तो अध्यक्ष/सभापति स्वयं दिन की शेष बैठक के दौरान विधानसभा की बैठकों से सदस्य को वापस लेने का आदेश देने के लिए तत्काल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और यदि यह उसी सत्र में दोहराए गए कदाचार का मामला है तो शेष सत्र के लिए। [पारस 40,41] [804-ई-एच; 805-ए-डी]

2.5 मान लीजिए, संविधान में कुछ भी नहीं है

योजना या अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियम सदन के किसी सदस्य को उसके घोर अव्यवस्थित आचरण के आधार पर किसी सदस्य को वापस लेने का निर्देश देने के लिए प्रस्ताव पेश करने से रोकने के लिए। इसके अलावा, यदि अध्यक्ष स्वतः संज्ञान लेते हुए सदस्य को उसी दिन विधानसभा से तुरंत हटने का निर्देश दे सकता है ताकि कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, तो उसी तर्क के लिए, सदन भी इस तरह के प्रस्ताव पर अध्यक्ष की सहमति से सदन के किसी सदस्य द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्ताव पर तुरंत प्रस्ताव पारित कर सकता है। [पैरा 42] [805-ई-एफ]

2.6 वर्तमान मामले में, अध्यक्ष ने मनोरंजन किया

विषय प्रस्ताव और सदन से उस पर मतदान करने का आह्वान किया, जिसका प्रभाव स्पष्ट सहमति नहीं होने पर मौन सहमति देने का था

उसी के लिए। इस मायने में, यह सदन द्वारा पारित प्रस्ताव (अपने सदस्यों को निलंबित करने के लिए) का मामला नहीं है क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह एक अलग बात है कि यदि अध्यक्ष/सभापति ऐसा करते हैं, तो यह केवल नियम 53 के तहत श्रेणीबद्ध तरीके से हो सकता है।

दिन के शेष समय के लिए और सत्र के शेष समय के लिए उसी सत्र में दुर्व्यवहार दोहराने के लिए। यह संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप एक तार्किक और तर्कसंगत दृष्टिकोण होगा। यदि सदन अपने सदस्यों को अनुशासित करने की जिम्मेदारी लेता है, तो उससे नियम 53 की तर्ज पर समान श्रेणीबद्ध (तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानक) दृष्टिकोण अपनाने की उम्मीद की जाती है। यह आशीष शेलर एंड ओआरएस के अनुसार सदन द्वारा की गई तर्कसंगत कार्रवाई का मामला होगा।

नियम 53 में वर्णित मानक) दृष्टिकोण बेंचमार्क है अध्यक्ष द्वारा किसी भी बाधा या बाधा के बिना सदन का सुचारू रूप से काम करना सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए और अवज्ञाकारी सदस्य को सदन से दूर रखने के लिए

पूरे सत्र के शेष भाग तक की अधिकतम अवधि। [पैरा 45] [806-एफ-जी]

2.8 सुचारू रूप से काम करने/कार्य करने को सुनिश्चित करने की तुलना में "आवश्यक अवधि से परे" अवधि के लिए निलंबन

सत्र के दौरान सदन "अपने आप में"; और नियम 53 में निर्दिष्ट अंतर्निहित उद्देश्य मानक के अनुसार, निस्संदेह, अपनाया गया घोर तर्कहीन उपाय होने के दुष्प्रभाव से पीड़ित है। गलती करने वाले सदस्य के खिलाफ और काफी हद तक अवैध और असंवैधानिक भी। [पैरा 46] [807-ए-बी]

2.9 चालू सत्र की शेष अवधि से आगे का निलंबन न केवल पूरी तरह से तर्कहीन उपाय होगा, बल्कि यह भी कि

यह सदन में अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी दल की संख्या में हेरफेर करने के लिए उस समय की कम बहुमत वाली सरकार (गठबंधन सरकार) को अनुमति देकर समग्र रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। इतना ही नहीं, विपक्ष अपने सदस्यों के लंबे समय तक निलंबित रहने के लगातार डर के कारण सदन में चर्चा/बहस में प्रभावी ढंग से भाग नहीं ले पाएगा। कोई उद्देश्यपूर्ण या सार्थक बहस नहीं होगी, लेकिन बहुमत की इच्छा के अनुसार होगी। यह समग्र लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं होगा। [पैरा 48] [807-डी-एफ] 2.10 यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान के भाग III द्वारा दी गई है, जिसमें से अनुच्छेद [2022] 18 एस. सी. आर.

भाग IV के सिद्धांतों को एक अभिन्न और अमूर्त समग्र के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें विषय वस्तु के साथ संभावित अतिव्यापी होना चाहिए कि इसके विभिन्न प्रावधानों द्वारा क्या संरक्षित किया जाना है, विशेष रूप से मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21 का विस्तार किसी सदस्य को सदन से अलग करने की कार्रवाई को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है।

विधान सभा के निष्कासन के रूप में या शेष सत्र के लिए विधानसभा की बैठक से वापस लेने का निर्देश देकर निलंबन का मामला हो। [पैरा 49] [807-जीएच; 808-ए-बी] 2.11 विवादित प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि इसे सभापति द्वारा मतदान के लिए रखे जाने के तुरंत बाद सदन में बहुमत से पारित कर दिया गया है। वास्तव में इसे सदन की अवमानना करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था, जो आमतौर पर विशेषाधिकारों से संबंधित नियमों के भाग XVIII के तहत आगे बढ़ना चाहिए था। इसके लिए व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देकर पूरे मामले की जांच करने के लिए विशेषाधिकार समिति के गठन की आवश्यकता होती।

चिंतित हैं। उस प्रक्रिया को अपनाने के बजाय, सदन ने स्वयं याचिकाकर्ताओं को एक वर्ष की अवधि के लिए विधानसभा की बैठकों से वापस लेने का निर्देश दिया-जो निर्देश न तो संविधान के भाग XVIII में निर्धारित व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है।

नियम या नियम 53 अध्यक्ष को ऐसा करने में सक्षम बनाता है। [पैरा 50] [808 बी-डी]

2.12 यह प्रक्रियात्मक अनियमितता का मामला नहीं है। जबकि, इस मामले में सदन द्वारा लिया गया निर्णय, अवधि के बाद निलंबन का निर्देश देने में एक ठोस अवैधता है।

सत्र का शेष भाग जिसमें प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिद्धांत रूप से अंतर्निहित नियम 53 सहित क्रमिक तरीके से बहुत कम करने के लिए आवश्यक अवधि से अधिक निलंबन की अवधि तर्कसंगत के विपरीत होगी।

या चल रहे सत्र के दौरान सदन के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानक दृष्टिकोण। [पैरा 51] [808-ई-एफ]

2.13 विवादित संकल्प के घोर तर्कहीन होने की चुनौती की ओर लौटना। जैसा कि पहले देखा गया है, नियम 53 में आशीष शीलर और ओआरएस का प्रावधान है।

वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर.

एक श्रेणीबद्ध (तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानक) दृष्टिकोण। नियम 53 में निर्दिष्ट समय-सीमा तत्काल समाधान के उद्देश्य से है।

प्रदत्त सत्र में सदन के कामकाज का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सदन की चिंता। यह कार्रवाई आवश्यकता के सिद्धांत पर निहित है। अध्यक्ष और उस मामले के लिए, यहां तक कि सदन भी समग्र रूप से या बहुमत से, तर्कसंगत उपाय होने के नाते इस तरह के तंत्र का सहारा लेने की अपनी शक्ति के भीतर होगा। उल्लिखित समय सीमा को पार करना एक ठोस मामला है न कि एक प्रक्रियात्मक अनियमितता। यह एक बुनियादी सवाल उठाएगा कि एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाले लगातार सत्रों के लिए सदस्य को सदन से वापस लेने से क्या उद्देश्य पूरा होगा। वास्तव में, यदि सदस्य का आचरण साठ दिनों [अनुच्छेद 190 (4)] या छह महीने (1951 अधिनियम की धारा 151 ए) की अवधि से परे भी उसे विधानसभा से हटाने की घोर गारंटी देता है, तो सदन इस तरह के एक सदस्य को निष्कासित करने की अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है।

सदस्य, जो एक बड़ी शक्ति है। [पैरा 52] [808-एफ-एच; 809-ए-बी]

2.14 एक दिन के लिए या शेष के लिए निलंबन

सत्र, उस शक्ति का कम मात्रा में प्रयोग होगा। हालांकि, यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि उच्च स्तर की शक्ति में सदस्य को सदन के कामकाज के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा से दूर रखने के लिए आवश्यक अवधि से आगे निलंबित करने की शक्ति शामिल होगी। द.

विधायी विशेषाधिकारों के प्रयोग की जांच के लिए महत्वपूर्ण विचार यह है कि क्या विधायी कार्यों की अखंडता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। इस न्यायालय ने माना था कि अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की विधानमंडल की शक्ति अनियंत्रित नहीं थी। विधायी सदन की अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की वह शक्ति अपने कार्य की अखंडता की रक्षा करने में विधानमंडल के हित के साथ मेल खाती होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी सदस्य के निलंबन को एक अल्पकालिक या एक अस्थायी उपाय के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि संबंधित विधानसभा सत्र के कामकाज में व्यवस्था बहाल की जा सके ताकि वह अपनी निर्धारित अवधि को पूरा कर सके।

समय के भीतर और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक उपाय के माध्यम से व्यवसाय अपरिवर्तनीय सदस्य (ओं)। [पैरा 53] [809-बी-ई]

2.15 "निलंबन" शब्द अनिवार्य रूप से इससे जुड़ा हुआ है

सदन में सदस्य की उपस्थिति। इस प्रकार, निलंबन [2022] 18 एस. सी. आर.

190 (4) संविधान और 1951 के अधिनियम की धारा 151ए। [पैरा 54] [809-ई-एच] 2.16 निलंबन अनिवार्य रूप से एक अनुशासनात्मक उपाय है। एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबन दंडात्मक और निष्कासन से भी बदतर दंडात्मक होगा। लंबे समय तक और सत्र के बाद के लिए निलंबन का प्रभाव एक वास्तविक रिक्ति पैदा करने का होता है, हालांकि यह एक न्यायिक रिक्ति नहीं है। राज्य का तर्क है कि सदन से निलंबन के बावजूद, सदस्य एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सदन के बाहर अन्य सभी कार्यों का निर्वहन करना जारी रखेंगे। यह दलील कमजोर है। क्योंकि, इस तरह के निलंबन का प्रभाव न केवल उस निर्वाचन क्षेत्र पर पड़ता है जो

संभावित रूप से लंबे और अनावश्यक समय के लिए प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है,

लेकिन स्वयं विधानसभा के कामकाज पर भी। [पैरा 55] [810 ए-सी] 2.17 एक साल का निलंबन "निष्कासन", "अयोग्यता" या "इस्तीफे" से भी बदतर है-जहां तक सदन/विधानसभा के समक्ष निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के अधिकार का संबंध है। लंबे समय तक निलंबन निष्कासन की तुलना में अधिक कठोर अधिकारों को प्रभावित करने के लिए बाध्य है, जिसमें 1951 के अधिनियम की धारा 151ए के संदर्भ में निर्दिष्ट समय के भीतर छह महीने के बाद चुनाव आयोजित किया जाता है। इस प्रकार, विवादित संकल्प अनुचित, तर्कहीन और मनमाना है और इसे दरकिनार किया जा सकता है। [पैरा 56] [810 डी-ई]

2.18 इसका पालन करना चाहिए कि किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में

विधानमंडल को अपने सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करना

आशीष शेलर और ओआरएस। वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर.

चालू सत्र की अवधि से परे, विधानमंडल की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग केवल आवश्यक सीमा तक और संबंधित सदन में सदन के कार्यों के उचित प्रयोग के लिए किया जा सकता है।

समय का बिंदु। अधिक नहीं। उस उद्देश्य के लिए, यह केवल सुरक्षात्मक और आत्मरक्षात्मक शक्तियों का सहारा ले सकता है और बिल्कुल भी दंडात्मक नहीं। [पैरा 60] [814-एफ-जी]

2.19 विधानमंडल की निहित या अंतर्निहित शक्ति को केवल उस सीमा तक गिना जाना चाहिए जो चल रहे सत्र के दौरान अपने कार्य के प्रभावी और व्यवस्थित संचालन के लिए सदन द्वारा किए जाने की आवश्यकता है, न कि उससे आगे। इसी कारण से, नियम 53 एक श्रेणीबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है, अर्थात्, पहले अवसर पर, अध्यक्ष सदस्य को शेष के लिए निलंबित कर सकता है।

दिन का और यदि सत्र के शेष भाग के लिए उसी सत्र में दुर्व्यवहार दोहराया जाता है। [पारस 61,62] [815-एफ-जी; 816 एफ]

2.20 यह पालन करना चाहिए कि केवल एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण है

एक तर्कसंगत और तार्किक दृष्टिकोण का सार; और केवल विधानमंडल की ऐसी कार्रवाई जो चल रहे सत्र के अपने निर्धारित कार्य के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है, को तर्कसंगत दृष्टिकोण माना जा सकता है। सत्र से परे निलंबन न केवल संबंधित सदस्य को दंडित करने पर सीमित होगा, बल्कि

अनिवार्य रूप से उस निर्वाचन क्षेत्र के वैध अधिकारों को प्रभावित करता है जहाँ से सदस्य चुना गया था। [पैरा 63] [817-ए-बी] 2.21 वर्तमान मामले में, सदन पहले ही अपने कार्य के संचालन के लिए नियमों और नियमों के नियम 53 को अपना चुका है

अपने सदस्य के निलंबन के संबंध में तंत्र का स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है। निर्विवाद रूप से, भारत में विधानमंडलों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का स्रोत फुटनोट No.66 में 77 ऊपर दिया गया है। संसद के मामले में अनुच्छेद 105 (3) और राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद 194 (3) से। ऐसी शक्तियों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करने के लिए एक कानून के अभाव में, अब तक, यह केवल उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स में मौजूद हैं।

संविधान के प्रारंभ में यूनाइटेड किंगडम की संसद। [पैरा 65] [817-ई-जी]

2.22 एक प्राथमिकता, यदि विधानमंडल नियम 53 में वर्णित तंत्र से अलग होने का इरादा रखता है, तो उसे स्पष्ट रूप से [2022] 18 एस. सी. आर. होना चाहिए।

उस वितरण के लिए प्रदान किया गया। यदि उसने ऐसा किसी कानून द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियमों के रूप में किया होता, तो उसकी वैधता और संवैधानिकता का परीक्षण किया जा सकता था। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि इसके अभाव में, यह अनिवार्य रूप से उस संबंध में एक स्पष्ट अनुदान के बिना शक्ति का प्रयोग होगा। में।

ऐसे मामले में, शक्ति का प्रयोग केवल निहित या अंतर्निहित हो सकता है और सामान्य आवश्यकता के तर्क तक सीमित हो सकता है आत्म-सुरक्षात्मक या आत्म-रक्षात्मक कार्रवाई यथोचित रूप से आवश्यक है

चालू सत्र के दौरान सदन के कार्यों का उचित अभ्यास। एक दिन के लिए या चल रहे सत्र के शेष भाग के लिए कुछ भी अधिक होना, विधानसभा की अंतर्निहित शक्ति का बहुत कम तर्कसंगत प्रयोग आवश्यक नहीं होगा। यहां तक कि नियम 53 अध्यक्ष को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

केवल सदन के सुव्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सदस्य। यही तर्क सदन द्वारा अंतर्निहित सीमित शक्ति के प्रयोग पर लागू होना चाहिए, भले ही यह नियम 53 के तहत वास्तविक न हो। [पैरा 69] [820 ई-जी]

एम. एस. एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य। ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 395 [1959] पूरक। एससीआर 806; राजा राम पाल बनाम। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा और अन्य। (2007) 3 एससीसी 184: [2007] 1 एस. सी. आर. 317; अमरिंदर सिंह बनाम। विशेष। समिति, पंजाब विधानसभा और अन्य। (2010) 6 एस. सी. सी. 113 [2010] 4 एस. सी. आर. 1105; न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति बनाम भारत संघ और अन्य। (1991) 4 एससीसी

699 : [1991] 2 पूरक। एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

अलगापुरम आर. मोहनराज और अन्य। वी. तमिलनाडु

विधानसभा और ए. एन. आर. (2016) 6 एससीसी 82: [2016] 6 एस. सी. आर. 611; सुशांत कुमार चंद और अन्य। वी. द.

अध्यक्ष, उड़ीसा विधान सभा और अन्र। ए. आई. आर. 1973 ओ. आर. 111; 1964 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. का विशेष संदर्भ संख्या 1

745 : [1965] एस. सी. आर. 413; जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। (2006) 11 एससीसी 1: [2006] 10 पूरक। एससीआर 521;

जगदीशभाई ठाकुर और अन्र। वी. चंद्रिकाबेन

चुडासमा और ओआरएस। 2007 (48) 4 जीएलआर 2998; छबीलदास मेहता, एम. एल. ए. बनाम। विधान सभा, गुजरात राज्य (1970) 11 जी. एल. आर. 729; के. ए. मथियालगन बनाम। पी. श्रीनिवासन और अन्य। ए. आई. आर. 1973 मद्रास 371; ए. एम. पॉलराज बनाम। द.

अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु विधान सभा, मद्रास और आशीष शेलर और ओआरएस।

वी. महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेम्बली और ए. एन. आर.

एन. आर. ए. आई. आर. 1986 मद्रास 248; के. अनबाझगन और अन्य। वी.

सचिव, तमिलनाडु विधान सभा,

मद्रास और ओआरएस। 1987 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 89; वी. सी.

चंदीरा कुमार, विधान सभा सदस्य और ओआरएस। वी. तमिलनाडु विधान सभा, सचिवालय और

एन. आर. 2013 (6) सी. टी. सी. 506; किहोटा होलोहोन बनाम। ज़किलू

& ओआरएस। ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 412; एम. सी. मेहता बनाम संघ का

भारत और ओआरएस। (1999) 6 एससीसी 237: [1999] 3 एससीआर 1173; रतिलाल भंजी मिथानी बनाम। अस्स्टेट। सीमा शुल्क कलेक्टर,

बॉम्बे एंड एन. आर. [1967] 3 एस. सी. आर. 926-संदर्भित।

बार्टन वी। टेलर (1886) 11 एसी 197; ब्रैडलॉफ बनाम।

गोसेट (1884) 12 क्यूबीडी 271: 50 एल. टी. 620; एडवर्ड कीले

बनाम विलियम कार्सन (1842) 4 मूर पी. सी. 63: 13 ईआर 225

64 ; थॉमस विलियम डॉयल बनाम। जॉर्ज चार्ल्स फाल्कनर,

संस्करण; ब्लैक लॉ 11 वां संस्करण, 6 वां संस्करण; संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 8 वां संस्करण-संदर्भित।

केस लॉ रेफरेन्स

[2016] 6 एससीआर 611

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1959] पूरक। एससीआर 806

पैरा 34

पीछा किया।

[1965] एससीआर 413

पैरा 18

डी

संदर्भित किया गया है

[2006] 10 पूरक। एससीआर 521

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

डी

[2007] 1 एससीआर 317

पीछा किया।

पैरा

22,25

[2010] 4 एससीआर 1105

पैरा

23,53

पीछा किया।

[1999] 3 एससीआर 1173

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

सी

[1991] 2 पूरक। एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा 24

[1967] 3 एससीआर 926

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

797 2021 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के साथ

लिखित याचिका (सिविल) सं। 807 , 800 और 2021 का 808।

सिद्धार्थ भटनागर, महेश जेठमलानी, नीरज किशन कौल, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सिद्धार्थ धर्माधिकारी, अभिकल्प प्रताप

सिंह, अभय अंतुरकर, सुश्री प्रचेता कर, आदित्य सिद्धरा, नदीम अफरोज, उत्सव त्रिवेदी, अभिनय, सुश्री आस्था प्रसाद, हिमांशु सचदेवा,

सुश्री मणिनी रॉय, सुश्री शिवानी भूषण, सुश्री उन्नति विजय, सुश्री ऐश्वर्या सामल, पूरन चंद रॉय, मिलिंद शर्मा, रवि शर्मा, सुश्री मुग्धा पांडे, करण देव चोपड़ा, सुश्री आरजू अनेजा, सुश्री इरा महाजन, सुश्री भव्य त्यागी, सुश्री भव्य पांडे, सुश्री आद्या यादव, ध्रुव टैंक, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

सी. आर्यमा सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, अक्षय शिंदे, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, सुश्री रोहिणी

मूसा, जफर इनायत, अभिषेक गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. याचिकाकर्ताओं को वर्तमान महाराष्ट्र विधान सभा (2019-2024) के सदस्यों के रूप में विधिवत चुना गया है। वे चुने गए

महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र। वे भारतीय जनता पार्टी 1 से संबंधित हैं, जो प्रमुख विपक्षी दल है।

शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एन. सी. पी.) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई. एन. सी.) के बीच "महा विकास अघाड़ी" नाम दिया गया। 2. यह बात महाराष्ट्र विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान 5.7.2021 पर सामने आई घटनाओं से निकलती है। सदन की कार्यवाही में विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई क्योंकि विपक्षी दल द्वारा यह धारणा बनाई गई थी कि सदन का कार्य विपक्षी दल की आवाज को दबाने के लिए सचेत और सुनियोजित प्रयास के साथ एकतरफा तरीके से किया जा रहा है। इसमें विपक्ष के नेता को भी विचाराधीन एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया था। प्रासंगिक समय पर, सदन की अध्यक्षता की गई थी

महाराष्ट्र विधान सभा नियम 2 के नियम 8 के तहत नामित अध्यक्ष द्वारा, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विपक्ष के नेता सहित विपक्षी दल को बोलने का अवसर देने से इनकार कर दिया।

1 1 संक्षेप में, "भाजपा"

2 संक्षेप में, "नियम" आशीष शेलर और ओआरएस।

वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

3. यह आरोप लगाया जाता है कि वास्तविक विधानसभा सत्र से पहले हुई व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की ओर से विधानसभा सत्र को दो दिनों के लिए कम करने का ठोस प्रयास किया गया था, विशेष रूप से जब राज्य महामारी के कारण अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा था, जिसके लिए सदन में विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता थी। विपक्षी दल के पास उपलब्ध सभी विधायी साधनों को छीनने का ठोस प्रयास किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए और दबा दिया जाए।

4. सदन के अध्यक्ष की कुर्सी संबंधित समय पर पदधारी द्वारा पद छोड़ने के कारण खाली थी। विधानसभा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव होना बाकी था। नियमों के नियम 8 के अनुसार, ऐसी स्थिति में सदन के अन्य नामित सदस्य को 5.7.2021 की अध्यक्षता करनी थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, विपक्षी दल के सदस्यों के बीच एक सामान्य भावना विकसित हुई थी कि सदन का कार्य सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं किया जा रहा था और उन्हें महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने और सार्वजनिक महत्व के मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने से रोका गया था। जब मंत्री ओ. बी. सी. से संबंधित अनुभवजन्य आंकड़ों के संबंध में एक प्रस्ताव पेश कर रहे थे, तो विपक्ष के नेता उसी पर आपत्ति जताना चाहते थे। लेकिन उन्हें इस मौके से वंचित कर दिया गया। अंततः दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसके परिणामस्वरूप सदन को स्थगित कर दिया गया।

5. इसके बाद विपक्ष के कुछ सदस्य अपनी शिकायतें रखने के लिए उपसभापति के कक्ष में उनसे मिलने गए

नामित अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही के संचालन के अनुचित तरीके के संबंध में। उस समय सत्तारूढ़ दल (शिवसेना) के कुछ सदस्य आए और तीखी नोकझोंक की। जब सदन फिर से शुरू हुआ, तो मनोनीत सभापति ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि शिवसेना के कुछ सदस्य कक्ष में मौजूद थे और तीखी नोकझोंक में शामिल थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी क्योंकि दोनों वर्गों ने एक-दूसरे से माफी मांगी थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जब सदन फिर से शुरू हुआ, तो शिष्टाचार के रूप में विपक्ष के नेता ने पिछली घटना के लिए सभापति से विनम्रतापूर्वक माफी मांगी, जबकि इस तथ्य पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं सहित विपक्षी दल (भाजपा) के किसी भी विधायक ने सभापति को गाली नहीं दी थी। इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ताओं (और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों) को पूरी तरह से आश्चर्यचकित करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री ने [2022] 18 एस. सी. आर. के 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया।

सदन की अवमानना करने के लिए। वह आंदोलन थाघ. सदन में और सभापति को आवश्यक कार्य करने के लिए बुलाया गया। सभापति ने तब सदन से उक्त प्रस्ताव को पारित करने का आह्वान किया। सदन ने 14 बजे मतदान के बाद उस प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दियाः 40 5.7.2021 पर घंटे। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" पी. एच. : आपत्तिजनक व्यवहार से सदन की अवमानना एम. एच. : आपत्तिजनक व्यवहार के कारण सदन की अवमानना के लिए M.L.A.s के निलंबन के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री का संकल्प।

1) डॉ. संजय कुटे,

2) एड. आशीष शेलर,

3) श्री अभिमन्यु पवार

4) श्री गिरीश महाजन

5) श्री अतुल भातखलकर

6) एड. पराग अलवानी,

7) श्री हरीश पिंपल

8) श्री राम सतपुते,

9) श्री जयकुमार रावल,

10) श्री योगेश सागर,

11) श्री नारायण कुचे,

12) श्री कृतिकुमार @बंटी भांगडिया, एम. एल. ए.

एड. अनिल परब (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इच्छा के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

अनुमति ली।

" 5 जुलाई 2021 को जब सदन का कार्य चल रहा था, माननीय डॉ. संजय कुटे, अधिवक्ता। आशीष शेलर, सर्वश्री अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, अधिवक्ता। पराग अलवानी, सर्वश्री हरीश पिंपल, राम सतपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार @ बंटी भांगडिया ने सदन में दुर्व्यवहार किया, अध्यक्ष की कुर्सी को असंसदीय भाषा में संबोधित किया, बार-बार चेतावनी देने के बावजूद माइक और राजदंड लेने की कोशिश की, ये सभी आशीष शैलार और ओआरएस।

वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सदन के स्थगित होने के बाद भी सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष के कक्ष में दुर्व्यवहार किया और अध्यक्ष की कुर्सी पर सभापति के साथ दुर्व्यवहार और हाथापाई की। सदन की गरिमा को धूमिल करने वाले अनुशासनहीन और अशोभनीय व्यवहार के कारण, यह सदन सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, अधिवक्ता की सदस्यता को निलंबित करने का संकल्प लेता है। आशीष शेलर, सर्वश्री अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, अधिवक्ता। पराग अलवानी, सर्वश्री हरीश पिंपल, राम सतपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार @बंटी भांगडिया एक वर्ष की अवधि के लिए। इसी तरह निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें विधान के परिसर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है।

मुंबई और नागपुर में भवन "। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से इस प्रस्ताव को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

संकल्प प्रस्तुत कर दिया गया है।

अध्यक्ष की कुर्सी पर सभापतिः अब मैं इस संकल्प को रखता हूँ वोट करें।

प्रस्ताव को मतदान के लिए रखने के बाद पारित कर दिया गया है।

6. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इसके बाद विपक्ष के नेता ने प्रस्तुत करने के लिए उपाध्यक्ष को 7.7.2021 पर चार पत्र लिखे

7. आखिरकार, 22.7.2021 पर, याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन रिट याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। भारत, उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए ताकि 5.7.2021 द्वारा पारित विवादित प्रस्ताव को रद्द और अलग किया जा सके।

महाराष्ट्र विधानसभा असंवैधानिक और पूरी तरह से अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए है।

8. यह आग्रह किया जाता है कि दिनांकित 5.7.2021 के विवादित प्रस्ताव में

अनुचित जल्दबाजी में पारित किया गया और राजनीति से प्रेरित है। इसका मुख्य उद्देश्य सदन में विपक्षी दल की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालना है। इसे [2022] 18 एस. सी. आर. को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित कर दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने उन्हें लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए बहुत कम कहा। इस आधार को मजबूत करने के लिए, अलगापुरम आर. मोहनराज और अन्य में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया है। बनाम तमिलनाडु विधान सभा और Anr.[3]।

9. यह आग्रह किया जाता है कि जो घटनाएँ सामने आई हैं, वे उस अनुचित जल्दबाजी का संकेत देंगी जिसमें विवादित संकल्प आया था।

याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ मामले का सामना करने का अवसर दिए बिना कुछ ही घंटों के भीतर पारित कर दिया गया। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का घोर और स्पष्ट रूप से उल्लंघन था। क्योंकि, अध्यक्ष या मंत्री के समक्ष याचिकाकर्ताओं को निलंबित करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, वह भी इतनी लंबी अवधि के लिए।

10. इसके अलावा, यहाँ तक कि दिनांकित 5.7.2021 का विवादित संकल्प भी ऐसा करता है

उन किसी भी सामग्री का उल्लेख नहीं है जिसके आधार पर इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ निलंबन का ऐसा चरम कदम उठाया गया था। प्रस्ताव में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि 12 सदस्य (याचिकाकर्ता) कैसे थे।

लोगों की एक बड़ी भीड़ से पहचाना गया और निलंबन की कार्रवाई शुरू करने के लिए अलग किया गया। वास्तव में, विवादित प्रस्ताव स्वयं सदन के पटल पर और अध्यक्ष के कक्ष के बाहर अनियंत्रित व्यवहार का संकेत देता है। कथित घटना का वीडियो फुटेज, जो सार्वजनिक डोमेन में है, लोगों की एक बड़ी भीड़ दिखाता है और उन 12 विधायकों (याचिकाकर्ताओं) की पहचान करने का कोई तरीका नहीं है जिन्हें निलंबित कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है। वास्तव में, प्रस्ताव लाने वाले मंत्री अध्यक्ष के कक्ष में भी मौजूद नहीं थे। इसी तरह की स्थिति में, अलगापुरम आर. मोहनराजा की इस अदालत को तमिलनाडु विधानसभा के निलंबित सदस्यों की पहचान करने के लिए सबूतों की कमी के कारण प्रस्ताव को रद्द करना पड़ा।

11. वर्तमान मामले में, विवादित प्रस्ताव कोई संदर्भ नहीं देता है।

किसी भी सामग्री के लिए बहुत कम वीडियो फुटेज, आदि, जिस पर निलंबन के लिए कार्रवाई करने से पहले भरोसा किया गया है। इसके अलावा, विवादित प्रस्ताव से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कथित अनियंत्रित व्यवहार/कदाचार के लिए थी न कि विशेषाधिकार हनन के लिए जो एक स्वतंत्र व्यवस्था के दायरे में आती है। जहां तक सदन के किसी सदस्य के निलंबन का संबंध है, नियमों के नियम 53 के अनुसार ऐसी कार्रवाई अध्यक्ष द्वारा प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करने के बाद ही शुरू की जा सकती है। नियम 53 जैसे प्रावधान को सरकार के बहुसंख्यकवादी रवैये पर रोक लगाने के लिए तैयार किया गया है।

3 (2016) 6 एससीसी 82

4 फुटनोट संख्या 3 आशीष शेलर एंड ओआरएस पर ऊपर दिया गया है।

वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अध्यक्ष से निष्पक्ष रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, विशेष रूप से सदन में कार्यवाही के संचालन के दौरान दोनों पक्षों, अर्थात् सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के साथ-साथ विपक्षी दल के प्रति भी। इसलिए कहने के लिए, वह अर्ध-न्यायिक कार्य करता है। 12. यह आग्रह किया जाता है कि सदन में अनियंत्रित व्यवहार के लिए एक प्रस्ताव कभी भी मतदान का विषय नहीं हो सकता है क्योंकि यह राजनीतिक व्यवस्था को सक्षम बनाएगा।

कुछ तुच्छ कृत्यों के लिए विपक्ष का लगभग सफाया करने के लिए सत्ता में पार्टी

विपक्षी दल के उतने ही सदस्यों को निलंबित करके, उनके सदस्यों द्वारा किया गया। इसलिए निलंबन का निर्णय अध्यक्ष के पास होना चाहिए न कि सदन के पास। विशेष रूप से, नियमों के नियम 53 में निलंबन की अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है जो शेष सत्रों से अधिक नहीं है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं का एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबन पूरी तरह से असंवैधानिक और अवैध है। यदि विवादित प्रस्ताव को पारित होने दिया जाता है, तो सत्ता में (बहुमत में) राजनीतिक दल को इस तरह के तंत्र का सहारा लेने और सदन में मतदान का सहारा लेकर विपक्षी दल के बड़ी संख्या में सदस्यों को पांच साल या विधानसभा के शेष कार्यकाल तक निलंबित करने से कोई नहीं रोक सकता है।

13. यह भी आग्रह किया जाता है कि पूर्व अध्यक्ष ने पद छोड़ दिया था, जिसके परिणामस्वरूप, वह अध्यक्ष नहीं रह गए। इस प्रकार, उनके और याचिकाकर्ताओं के बीच कथित तौर पर बाहर गरमागरम बहस हो रही थी

संविधान के अनुच्छेद 180 के अनुसार अध्यक्ष के पद छोड़ने के बाद या उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनके कार्य। इस मायने में, असंतुष्ट 5.7.2021 दिनांकित संकल्प अमान्य है और कानून की नजर में गैर-कानूनी है, जो कानून के अधिकार के बिना पारित किया गया है।

14. ये रिट याचिकाएं 14.12.2021 पर प्रारंभिक सुनवाई के लिए आईं। याचिकाकर्ताओं और महाराष्ट्र राज्य की ओर से विद्वान वकील को सुनने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" हमने याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील को सुना है और

महाराष्ट्र राज्य।

इन मामलों में वेस्टमिंस्टर के लिए क्षण के मुद्दे शामिल हैं।

लोकतंत्र का रूप।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा दिनांकित 05.07.2021 के विवादित प्रस्ताव को नुकसान पहुँचता है

सदन के विशेषाधिकार हनन के लिए सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नियम 273 सहित XVIII। यह भी आग्रह किया जाता है कि विधान सभा की शक्ति हालांकि कुछ मामलों में निरपेक्ष है, सदन द्वारा लिए गए निर्णय पर हमेशा उन तय किए गए सिद्धांतों पर सवाल उठाया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से घोर मनमाने या तर्कहीन हैं, जो मौलिक अधिकारों और ऐसे अन्य आधारों का उल्लंघन करते हैं, जो अनुमेय हो सकते हैं।

और राजा रामपाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा और अन्य मामलों में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय में वर्णित किया गया है। (2007) 3 एस. सी. सी. 184 में रिपोर्ट की गई, जिसमें दो न्यायाधीशों के निर्णय शामिल हैं अलगापुरम आर. मोहन राज और अन्य में यह मामला। बनाम तमिलनाडु विधानसभा और ए. एन. आर. (2016) 6 एस. सी. सी. 82 में रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा, विवादित संकल्प की प्रकृति के लिए, यह न केवल कम करता है

इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किए गए अमूर्त तर्कों और आधारों का आधार; और भले ही सदन द्वारा एक सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई हो, लेकिन अपने कार्य को विनियमित करना सदन का पूर्ण विशेषाधिकार है। राज्य के विद्वान वकील द्वारा यह भी आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने आशीष शेलर और ओआरएस के बारे में उनके खिलाफ बनाए गए मामले का खंडन नहीं किया है।

वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सदन में और सदन के बाहर भी दुर्व्यवहार। वास्तव में, इस याचिका का प्रतिवाद विद्वान वकील द्वारा किया गया है जो

याचिकाकर्ता।

ये सभी बहस के योग्य मुद्दे हैं और इसके लिए और गहराई की आवश्यकता होगी।

विचार करें।

नतीजतन, हम एक औपचारिक नोटिस जारी करना उचित समझते हैं

उत्तरदाताओं को, 11.01.2022 पर वापस किया जा सकता है।

श्री सचिन पाटिल, अधिवक्ता ने प्रतिवादी के लिए नोटिस माफ कर दिया

नंबर 2-राज्य।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को दस्ती नोटिस देने की अनुमति है

प्रत्यर्थी संख्या 1 पर।

यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इन याचिकाओं की लंबितता याचिकाकर्ताओं के रास्ते में नहीं आएगी ताकि वे सदन से नरमी दिखाने और निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर सकें।

इन रिट याचिकाओं में कम से कम, उसमें निर्दिष्ट अवधि को कम करने की सीमा तक आक्षेप किया गया है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर विचार किया जाना चाहिए

सदन उचित रूप से "।

इस आदेश से न्यायालय ने आशावादी आशा व्यक्त की थी

कि मामला अगले सप्ताह निर्धारित आगामी सत्र में हल हो जाएगा। संभवतः, कोई प्रभावी प्रगति नहीं हुई थी इस संबंध में किया गया है।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को भेजा गया नोटिस विधिवत रूप से दिया गया है। हमें विद्वानों द्वारा सूचित किया गया है

राज्य के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान कार्यवाही में उपस्थित नहीं होगा। हालाँकि, प्रत्यर्थी राज्य, प्रभारी श्री सतीश बबन वाघोले द्वारा शपथ लिए गए 7.1.2022 दिनांकित जवाबी हलफनामा दायर करके विवादित प्रस्ताव का बचाव कर रहा है।

सचिव, संसदीय कार्य विभाग। जवाबी हलफनामे में अन्य बातों के अलावा यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे अनिवार्य रूप से विधान सभा में प्रक्रिया से संबंधित मामले हैं

सभा और कार्यवाही के दौरान की गई कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के बारे में। यह इस न्यायालय की अधिकारिता को लागू करने का आधार नहीं हो सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 212 के अधिदेश द्वारा संकुचित है, क्योंकि यह सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।

16. यह आग्रह किया जाता है कि सदन में अनियंत्रित आचरण के लिए निलंबन केवल नियमों के नियम 53 के लिए संदर्भित नहीं है। जबकि, यह विधानमंडल के लिए खुला है कि वह नियमों से अलग हो और एक निर्णय ले जो हो सकता है

याचिकाकर्ताओं सहित विपक्ष के सदस्यों का अनियंत्रित व्यवहार। याचिकाकर्ताओं ने ऐसे कार्य किए थे जिनके परिणामस्वरूप सदन के सामने सदन की गरिमा को कम करते हुए और बदनाम करते हुए और इस कारण से सदन ने याचिकाकर्ताओं को निलंबित करने का फैसला किया। ऐसी स्थिति में कोई अवसर देने का सवाल ही नहीं है।

सुनवाई या लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए, जब यह सत्र में था तब सदन की अवमानना का मामला था। जवाब का हलफनामा अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ताओं की कानूनी दलीलों का खंडन करता है और विवादित प्रस्ताव से ही उत्पन्न होने वाली तथ्यात्मक स्थिति को दोहराता है और इस न्यायालय से योग्यता से रहित रिट याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह करता है।

प्रस्तुतियाँ-याचिकाकर्ताएँः

18. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व श्री महेश जेठमलानी, श्री मुकुल रोहतगी, श्री नीरज किशन कौल और श्री सिद्धार्थ भटनागर, विद्वान वरिष्ठ वकील कर रहे हैं। उनके प्रस्तुतिकरण का योग और सार इस प्रकार है। पहला, सदन द्वारा पारित विवादित प्रस्ताव अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि, लागू नियमों के अनुसार निलंबित करने की शक्ति केवल सदन के अध्यक्ष को दी गई है और क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 180 के अनुसार, अध्यक्ष का पद प्रासंगिक समय पर खाली था। इसके अलावा, अध्यक्ष द्वारा शक्ति का प्रयोग एक अर्ध-न्यायिक निर्णय है जो, इसलिए, एक औपचारिक जांच, संबंधित सदस्य को सुनवाई का अवसर और रिकॉर्डिंग से पहले होना चाहिए।

संबंधित सदस्य द्वारा किए गए कुकर्मों की प्रकृति के बारे में संतुष्टि जो घोर अव्यवस्थित आचरण के बराबर है।

संक्षेप में, द हाउस आशीष शेलर एंड ऑर्स। वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जिस तरह से इसे अनुचित जल्दबाजी में पारित किया गया है, उससे बहुत कम विवादित प्रस्ताव को पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। दूसरा, इसे वापस लेने का आदेश देने के लिए कोई ज्ञात या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

विधानसभा के सदस्य। इस प्रकार, सदन द्वारा घोर अवैधता की गई है। सदन संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत उस उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। लागू नियम अलग-अलग व्यवस्था प्रदान करते हैं। अपने सदस्य को वापस लेने का आदेश देने की शक्ति, नियम 53 में प्रदान की गई है और इसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में नियमों के भाग XVIII (नियम 273 से 289 तक) द्वारा शासित है। सदन में पेश किए गए प्रस्ताव के संबंध में नियमों के नियम 106 के भाग XII के तहत 15 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। विषय प्रस्ताव को प्रस्तुत करने और विवादित प्रस्ताव को पारित करने में इनमें से किसी का भी पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता का मामला नहीं है, बल्कि सदन द्वारा अपनाया गया असंवैधानिक, घोर अवैध और तर्कहीन प्रस्ताव है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को एक साल के लिए सदन से हटने का निर्देश भी शामिल है। तीसरा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है। इसमें, याचिकाकर्ताओं को कोई भी अवसर नहीं दिया गया था, कम से कम एक औपचारिक नोटिस जिसमें उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। यदि ऐसा अवसर दिया जाता तो याचिकाकर्ताओं के लिए यह प्रदर्शित करना संभव होता कि वे उस अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा नहीं थे जो घोर अव्यवस्थित आचरण जैसी गतिविधियों में लिप्त थी।

18. (क) यह भी आग्रह किया जाता है कि किसी भी दर पर याचिकाकर्ताओं को एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित करने वाले विवादित प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सकता है।

दिन की बैठक। उसी सत्र के दौरान दोहराए जाने वाले कदाचार के मामले में, अध्यक्ष शेष सत्र के लिए ऐसे सदस्य को वापस लेने का आदेश दे सकता है। यदि यह नियम 53 के तहत शक्ति के प्रयोग का मामला होता, इस प्रकार अनुपस्थित रहने के लिए निर्देशित सदस्य को, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान, सभा की अनुमति से अनुपस्थित माना जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 190 के खंड (4) के अर्थ के भीतर। हालाँकि, विवादित प्रस्ताव इस पहलू का कोई संदर्भ नहीं देता है।

18. (ख) उत्तरदाताओं द्वारा दी गई इस स्थिति पर कि शक्ति का प्रयोग सदन द्वारा किया गया है और यह नियम 53 के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन सदन की अंतर्निहित शक्ति, उस मामले में भी, सदन के सदस्य का निलंबन चल रहे सत्र से आगे नहीं जा सकता है।

चूंकि, सदन से सदस्य के निलंबन की अत्यधिक और अनावश्यक अवधि न केवल संविधान में प्रतिपादित लोकतांत्रिक मूल्यों के मामले में अवांछनीय है, बल्कि मूल रूप से या घोर रूप से अवैध है और

इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के संबंधित स्थायी आदेश में वर्णित व्यवस्था से अतिरिक्त समर्थन प्राप्त किया जाता है। संसदीय प्रक्रिया के संबंध में राज्य के साथ-साथ सर थॉमस एर्स्किन मे के कानून, विशेषाधिकार कार्यवाही और संसद के उपयोग पर ग्रंथ के उद्धरण। यह आग्रह किया जाता है कि साठ दिनों से अधिक समय तक सदन के निलंबित सदस्य की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 190 (4) के अनुसार, उनके द्वारा अधिग्रहित सीट को खाली करना आवश्यक होगा और इस मामले में, कानूनी रूप से, संबंधित संवैधानिक प्राधिकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 19516 की धारा 151 ए 3 के संदर्भ में ऐसी रिक्ति की तारीख से छह महीने के भीतर खाली सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र कार्रवाई के कारण छह महीने से अधिक समय तक विधानसभा में प्रतिनिधित्वहीन न रहे।

सदन द्वारा उसके विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधि के विरुद्ध। यदि यह निष्कासन का मामला होता, तो इसके परिणामस्वरूप संबंधित सदस्य या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए निर्वाचन क्षेत्र को सजा नहीं मिलती। क्योंकि, उस मामले में संबंधित सदस्य छह महीने के बाद खाली सीट पर कब्जा करने के लिए फिर से निर्वाचित हो सकता है। इस प्रकार समझा गया, निलंबन की समयरेखा

3151 ए. धारा 147,149,150 और 151 में निर्दिष्ट रिक्तियों को भरने के लिए समय सीमा। - धारा 147, धारा 149, धारा 150 और धारा 151 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उक्त धाराओं में से किसी में निर्दिष्ट किसी भी रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव रिक्ति होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगाः

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा यदि -

(क) किसी रिक्ति के संबंध में किसी सदस्य का शेष कार्यकाल उससे कम है।

एक वर्ष; या

(ख) चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से प्रमाणित करता है कि उक्त अवधि के भीतर उपचुनाव कराना मुश्किल है। संक्षेप में, "1951 अधिनियम" आशीष शेलर और ओआरएस।

वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विवादित प्रस्ताव में निर्धारित याचिकाकर्ताओं की संख्या सबसे खराब है और याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ दंड देने के रूप में कार्य करती है उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया निर्वाचन क्षेत्र। दूसरे शब्दों में, यह सदन के किसी सदस्य के निष्कासन से भी बदतर है।

18. (ग) वर्तमान मामले में, विद्वान वकील का तर्क है कि सदन

चल रहे सत्र के केवल दो दिनों के लिए इकट्ठा होना पड़ा। इसलिए, आदर्श रूप से निलंबन नियमों के नियम 53 के संदर्भ में शेष सत्र से अधिक अवधि के लिए नहीं हो सकता था। इसके अलावा, चूंकि अवमानना शुरू करने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया गया था, इसलिए इसे केवल नियमों के भाग XVIII के तहत उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आगे बढ़ना चाहिए था, जिसमें विशेषाधिकार समिति के समक्ष सदस्य को सुनवाई का अवसर देना शामिल है। यदि इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में माना जाना था, तो नियमों के नियम 106 के तहत प्रक्रिया

15 स्पष्ट दिनों के नोटिस की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, नियम 1107 में कहा गया है कि यदि प्रस्ताव मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, तो इसे सात दिनों के नोटिस के साथ पेश किया जाना चाहिए। यहां तक कि इस आवश्यकता का भी उल्लंघन किया गया था। दोनों ही मामलों में, विवादित प्रस्ताव मनमाना, निष्पक्ष और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अप्रमाणित आरोपों पर आधारित होने के अलावा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से इनकार करने के दोष से ग्रस्त है। इस समर्पण को मजबूत करने के लिए, अलगापुरम आर. मोहनराज 3 में उक्ति पर भरोसा किया गया है।

18. (घ) तब यह आग्रह किया जाता है कि किसी भी समय निलंबन की अवधि

जैसा कि विवादित संकल्प में निर्दिष्ट किया गया है, स्पष्ट रूप से मनमाना और घोर रूप से असमान और अत्यधिक है, इसके अलावा घोर रूप से अवैध और

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा असंवैधानिक रूप से प्रभावित होना। क्योंकि, विवादित प्रस्ताव में संविधान [अनुच्छेद 190 (4)] में निर्दिष्ट अवधि से बहुत कम, इतने लंबे समय तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व से वंचित करना और 1951 के अधिनियम की धारा 150 और 151 ए के अनुसार रिक्त होने की तारीख से छह महीने के बाद चुनाव कराने का अधिदेश शामिल है। रिलायंस को बार्टन बनाम टेलर, सुशांत कुमार चंद और अन्य पर रखा गया है। बनाम। अध्यक्ष, उड़ीसा विधान सभा और Anr.[1]0, एम. एस. एम. शर्मा बनाम। श्री

1 110. सरकारी संकल्प। — (1) नियम 106 के प्रावधान उन प्रस्तावों पर लागू नहीं होंगे जिनके बारे में मंत्री या महाधिवक्ता द्वारा नोटिस दिया जाता है।

(2) ऐसे संकल्पों के संबंध में सात दिन का नोटिस आवश्यक होगा।

(जोर दिया गया)

8 फुटनोट संख्या 3 पर उपर्युक्त (पैरा 38 से 42)

10 ए. आई. आर. 1973 ओ. आर. आई. 111 (डिवीजन बेंच)

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कृष्ण सिन्हा और अन्य "। , 1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1, जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और Ors.[1]3, राजा राम पाल बनाम माननीय

लोकसभा अध्यक्ष & Ors.[1]4 और अमरिंदर सिंह बनाम विशेष समिति, पंजाब विधानसभा & Ors.[1]

18. (ई) यह भी तर्क दिया गया था कि सदस्यों का निलंबन

नियम 53 में निर्दिष्ट अवधि उसमें बताए गए तर्क से विचलन के समान है। और लागू नियमों से विचलन का मामला होने के कारण, पहले नियम 53 को निलंबित करना आवश्यक था। यह नियम 57 1 के तहत एक प्रस्ताव के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा, अध्यक्ष की सामान्य शक्तियों को नियम 58 1 7 के संदर्भ में सीमित कर दिया गया है, अर्थात्, उन मामलों तक सीमित है जो नियमों में विशेष रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं।

प्रस्तुतियाँ-प्रतिवादी (महाराष्ट्र राज्य):

19. श्री सी. आर्यमा सुंदरम, उपस्थित वरिष्ठ वकील

महाराष्ट्र राज्य के लिए, हालांकि, यह आग्रह करेगा कि याचिकाकर्ताओं का अधिकांश तर्क असमर्थनीय धारणा पर आधारित है कि नियम

वे सदन के लिए बाध्यकारी थे और संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियमों को निरस्त करने के लिए सदन के लिए आगे बढ़ने के लिए खुला नहीं था। वे प्रस्तुत करते हैं कि विधानमंडल के लिए नियमों से हटने का अधिकार है, भले ही वे अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए हों। ऐसे नियम केवल समाज के उपनियमों के समान हैं जो लागू करने योग्य नहीं हैं और न ही इसे वैधानिक माना जा सकता है।

नियम। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत चुनौती के आधार अनिवार्य रूप से विवादित प्रस्ताव को अपनाने में सदन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 212 (1) के तहत प्रतिबंध के आलोक में इस तरह की चुनौती को बनाए नहीं रखा जा सकता है और न ही न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है। प्रक्रिया में अनियमितताओं के आधार पर सदन के फैसले पर सवाल उठाना न्यायालय के लिए खुला नहीं है। के लिए, घर

1 ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 395 (5-न्यायाधीश पीठ) (पैरा 25,26,28 और 29) 12 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745 (7-न्यायाधीश पीठ) (पैरा 31,32,35,36,39 से 41,56,60,61,124 और 125)

13 (2006) 11 एस. सी. सी. 1 (3-न्यायाधीश पीठ) (पैरा 44) 14 (2007) 3 एस. सी. सी. 184 (5-न्यायाधीश पीठ) 15 1 5 (2010) 6 एस. सी. सी. 113 (5-न्यायाधीश पीठ) (पैरा 47,62,64 और 65)

16 57. नियमों का निलंबन। कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सहमति से, प्रस्ताव कर सकता है कि सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव के लिए उसके आवेदन में किसी भी नियम को निलंबित किया जा सकता है और यदि प्रस्ताव लाया जाता है, तो विचाराधीन नियम को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

1758. अध्यक्ष की सामान्य शक्तियाँ। इन नियमों में विशेष रूप से प्रावधान नहीं किए गए सभी मामलों और इन नियमों के विस्तृत कामकाज से संबंधित सभी प्रश्नों को इस तरह से विनियमित किया जाएगा जैसे अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दे।

(जोर दिया गया)

आशीष शेलर और हमारा। वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

19. (क) वह आगे प्रस्तुत करता है कि यह कार्डिनल है कि विधानमंडलों के सदन की शक्तियाँ और विशेषाधिकार, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 194 में वर्णित हैं। संविधान गैर-न्यायसंगत है, जो संविधान के भाग VI में अध्याय III (राज्य विधानमंडल) का हिस्सा है। यह संविधान के अनुच्छेद 212 (1) द्वारा अनिवार्य है। यह विधानमंडल को सदन के विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रक्रिया अपनाने के लिए पर्याप्त जगह देता है।

विधानमंडल और उसके सदस्य जिनके विरुद्ध कार्यवाही शामिल है उल्लंघन के मामले में गैर-सदस्य। इस प्रकार, यह दूर से भी नहीं खुला है।

यह सुझाव देता है कि विधानमंडल के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है।

19. (ख) वह प्रस्तुत करता है कि तथ्य यह है कि नियमों के नियम 53 में अध्यक्ष द्वारा सदस्य को वापस लेने का आदेश देने के लिए शक्ति का प्रयोग करने का प्रावधान है। श्रेणीबद्ध तरीके से, जो सदन को गलती करने वाले सदस्य को निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित करने से नहीं रोकता है और न ही रोक सकता है। इस प्रकार, सदन निश्चित रूप से सत्र के शेष कार्यकाल से आगे की अवधि के लिए अपने सदस्य के निलंबन का निर्देश दे सकता है। विधानमंडल ने इस प्रकार को अपनाते समय

किसी भी कारण को बताने के लिए संकल्प की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, प्रस्ताव को पारित करने के लिए विधानमंडल के साथ वजन करने वाले कारणों की कोई न्यायिक समीक्षा तब तक स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि यह आगे नहीं दिखाया जाता है कि सदन द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव असंवैधानिक है। वर्तमान मामले में, सदन ने प्रस्ताव पारित किया था जो आत्म-वाक्पटु है। इसमें याचिकाकर्ताओं को एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित करने का ऐसा प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। शक्ति का प्रयोग विधानमंडल द्वारा किया गया है, जो है

विशेष रूप से इसके व्यवसाय के संचालन के संबंध में इसमें निहित है। द.

इसलिए विवादित प्रस्ताव असंवैधानिक नहीं है। वह प्रस्तुत करेंगे कि यह दावा करने की आड़ में कि विवादित प्रस्ताव तर्कहीन है, याचिकाकर्ता वास्तव में निलंबन की अवधि की आनुपातिकता पर सवाल उठा रहे हैं। न्यायालय द्वारा यह जाँच अनुज्ञेय नहीं है। क्योंकि, निलंबन की मात्रा या अवधि के संबंध में सदन का निर्णय गैर-कानूनी है। न्यायसंगत

19. (ग) उन्होंने जोरदार आग्रह किया कि इस न्यायालय को तथ्यात्मक मैट्रिक्स में नहीं जाना चाहिए और इसके बारे में दूसरा अनुमान लगाने का दृष्टिकोण रखना चाहिए।

विवादित प्रस्ताव में सदन द्वारा व्यक्त की गई राय। अपनी दलीलों को मजबूत करने के लिए, उन्होंने गुजरात [2022] 18 एस. सी. आर. के फैसले पर भरोसा किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जगदीशभाई ठाकुर और अन्न में उच्च न्यायालय। बनाम। चंद्रिकाबेन चुडासमा और Ors.¹8, जो छबीलदास मेहता, एम. एल. ए. बनाम एम. द.

विधान सभा, गुजरात राज्य "। उन्होंने के. ए. मथियालगन बनाम पर भी भरोसा रखा है। पी. श्रीनिवासन और Ors.20, ए. एम. पॉलराज बनाम। अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा, मद्रास और Anr.2¹ 21, के. अनबाझगन और अन्य। बनाम। सचिव, तमिलनाडु विधान सभा, मद्रास और Ors.22, वी. सी. चंदिरा कुमार, विधान सभा सदस्य और अन्य। बनाम तमिलनाडु विधान सभा, सचिवालय और Anr.23,1964-24 का विशेष संदर्भ संख्या 1, किहोटा

होलोहोन बनाम ज़चिल्हू & Ors.25, एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य। 254 , राजा राम पाल 26 और अमरिंदर सिंह 2 7।

20. वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि महाराष्ट्र विधानमंडल

विधानसभा ने अतीत में भी एक से अधिक अवसरों पर अपने सदस्य को एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित करने के लिए इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था। अपने विशेषाधिकार को बनाए रखने के मामले में यह सदन की वैध अंतर्निहित शक्ति है। अनुच्छेद 190 (3) इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है। इसके अलावा, 1951 के अधिनियम के अनुच्छेद 190 (4) और धारा 151 ए का आह्वान

याचिकाकर्ता, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि, अनुच्छेद 190 (4) का तब तक कोई अनुप्रयोग नहीं है जब तक कि संबंधित सदस्य की अनुपस्थिति स्वैच्छिक और बिना किसी कारण के न हो।

सदन की अनुमति। अनुच्छेद 190 (4) अनुच्छेद 190 (3) में प्रदत्त विधानमंडल की शक्तियों और विशेषाधिकारों पर हावी नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 190 (4) एक सक्षम प्रावधान है जो रिक्ति की घटना की परिकल्पना केवल तभी करता है जब -

अनुच्छेद 190 (1) से 190 (3) में निर्दिष्ट स्थितियों में होने वाली वास्तविक रिक्ति के विपरीत, विधानमंडल इस प्रकार निर्णय/निर्णय लेता है। अनुच्छेद 190 (4) के तहत घोषणा जारी करने के लिए कि रिक्ति उत्पन्न हो गई है, यह विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए यदि ऐसी सिफारिश गठित समिति द्वारा की जाती है।

नियमों के नियम 229 के तहत समिति की अनुपस्थिति के रूप में जाना जाता है

18 1 8 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुज 402 (पैरा 8): 2007 (48) 4 जी. एल. आर. 2998 (एकल न्यायाधीश पीठ) 1 9 19 (1970) 11 जी. एल. आर. 729 (खंड पीठ) (पैरा 14 से 16)

20 ए. आई. आर. 1973 मद्रास 371 (पूर्ण पीठ) 21 ए. आई. आर. 1986 मद्रास 248 (पूर्ण पीठ) 22 1987 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 89 (डिवीजन बेंच) (पैरा 87 से 92,101,108 से 110 और 160)

23 2013 (6) सी. टी. सी. 506 (डिवीजन बेंच) (पैरा 4,19 से 4:30) फुटनोट No.12 (पैरा 31,34,35 और 39 से 41) 25 ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 412: 1992 अनुपूरक (2) एस. सी. सी. 651 (5-न्यायाधीश पीठ) 25 ए. (1999) 6 एस. सी. सी. 237 (पैरा 18 से 21)

26 (पैरा 125,160 से 162,163,271 से 300,451 से 453,530,531,534,536,598 और 696 से 705)

27 फुटनोट No.15 पर उपर्युक्त (पैरा 54 और 66)

आशीष शेलर और हमारा। वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सदन की बैठकों के सदस्य। उक्त समिति के कार्यों को नियम 230 में वर्णित किया गया है। नियम 211 और 232 में उल्लिखित प्रक्रिया स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत देती है कि सदस्य की अनुपस्थिति स्वैच्छिक और सदन की अनुमति के बिना होनी चाहिए। वास्तव में, अनुच्छेद 190 (4) में उल्लिखित अनुपस्थिति की अवधि साठ दिन-28 बैठकें हैं, न कि अंग्रेजी कैलेंडर के दिन। इस मामले में अब तक केवल सात दिनों की बैठकें आयोजित की गई थीं। इस प्रकार, वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में अनुच्छेद 190 (4) का आह्वान उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, सदन द्वारा सदस्य के निलंबन के कारण सदन से सदस्य की अनुपस्थिति के मामले में यह माना जाता है कि सदन ने स्वयं बैठकों के दौरान संबंधित सदस्य के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे सुरक्षित रूप से प्रासंगिक अवधि के लिए अनुपस्थिति के लिए सदन की अनुमति माना जा सकता है। इसी तरह, निर्वाचन क्षेत्र सदन में अपने गैर-प्रतिनिधित्व के बारे में शिकायत नहीं कर सकता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना है जो बैठकों में खुद को अनुचित तरीके से संचालित करता है। राजा राम पाल में भी इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया गया था। स्वीकृत रूप से, निलंबित निर्वाचित प्रतिनिधि उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना जारी रखता है जहाँ से वह निलंबन के कारण बैठकों में भाग लेने को छोड़कर अन्य सभी उद्देश्यों के लिए चुना गया है। का तर्क

याचिकाकर्ता नैतिकता दृष्टिकोण के आधार पर अधिक निश्चित हैं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कानून के मामले में, सदन के पास अपने सदस्य को एक साल की अवधि के लिए निलंबित करने का निर्देश देने की अंतर्निहित शक्तियां हैं और संविधान या संविधान द्वारा प्रदान की गई कोई स्पष्ट बाधा या प्रतिबंध नहीं है। किसी भी वैधानिक प्रावधान का गुण। वास्तव में, यह आग्रह किया जाता है कि न्यायालय की गई शिकायतों की जांच नहीं की जा सकती है, जो अनिवार्य रूप से सदन द्वारा विवादित प्रस्ताव को अपनाने में प्रक्रिया की अनियमितता के बारे में है।

21. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना है और

उत्तरदाता-राज्य। जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रतिवादी संख्या 1 ने सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना है।

ध्यान दें:

22. विवादास्पद प्रश्न विधान सभा द्वारा अपनाए गए कथित प्रस्ताव के संबंध में चुनौती की स्थिरता के बारे में है।

इस न्यायालय की संविधान पीठ के क्रमिक निर्णयों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे को अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। इस न्यायालय ने लगातार स्पष्ट किया है कि विधायी विशेषाधिकारों के प्रयोग के संबंध में न्यायिक जांच (जिसमें अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है) 28 तीन सत्रों में एक वर्ष में कुल 98-100 दिनों में से, कुल मिलाकर, बजट, मानसून और शीतकालीन।

29 फुटनोट No.14 [2022] 18 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

हाउस) संकुचित है और न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर कठोर नहीं हो सकता है जैसा कि आम तौर पर अन्य स्थितियों में समझा जाता है। इसमें, प्रक्रिया की अनियमितता के मामलों में न्यायिक समीक्षा से पूर्ण प्रतिरक्षा है। राजा राम पाल 3 0 में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने उक्त निर्णय में उल्लिखित निर्णयों के आधार पर सिद्धांतों को निम्नानुसार चित्रित कियाः

" न्यायिक मानदंडों से संबंधित सिद्धांतों का सारांश

संसदीय प्रावधानों के प्रयोग के संबंध में समीक्षा
431. हम उन सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें उपरोक्त चर्चा से निकाला जा सकता है। वे इस प्रकार हैंः

(क) संसद एक समन्वित निकाय है और इसके विचार सम्मान के योग्य हैं, भले ही इसके कार्य न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी हों।

(ख) सरकार की संवैधानिक प्रणाली निरंकुशता का तिरस्कार करती है और यह हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है कि कोई भी, चाहे वह कितना भी ऊँचा क्यों न हो, सरकार का एकमात्र न्यायाधीश होने का दावा नहीं कर सकता है।

न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निर्णय के चरित्र में भाग लें;
(ग) विधायिका द्वारा शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग की समीचीनता और आवश्यकता के निर्धारण के लिए हैं

विधायी प्राधिकरण और अदालतों द्वारा निर्धारण के लिए नहीं;

(घ) अवमानना या विशेषाधिकार की शक्ति के प्रयोग के तरीके की न्यायिक समीक्षा का मतलब यह नहीं है कि उक्त अधिकार क्षेत्र न्यायपालिका द्वारा हड़पा जा रहा है;

(ई) संविधान के तहत विधायिका द्वारा किए गए कार्यों के महत्व और महिमा को ध्यान में रखते हुए और

इसके कार्य की भव्यता, हमेशा एक प्रारंभिक धारणा होगी कि शक्तियाँ, विशेषाधिकार, आदि नियमित रूप से और उचित रूप से प्रयोग किया गया, कानून या संवैधानिक का उल्लंघन नहीं किया गया

प्रावधान, यह धारणा एक खंडन योग्य है;

(च) यह तथ्य कि संसद एक प्रतिष्ठित निकाय है - संवैधानिक स्थिति के समन्वय का मतलब यह नहीं है कि

30 फुटनोट No.14 आई. एस. एच. शेलर एंड ओ. आर. एस. पर ऊपर दिया गया है।

वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अपनी शक्ति के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए कोई न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक नहीं हो सकते हैं।

(छ) जबकि विधायिका की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का क्षेत्र असाधारण और असाधारण है। विशेष रूप से इसके प्रयोग से संबंधित इसके कार्यों का न्यायिक मानदंडों के पारंपरिक मानकों पर परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए।

(i) यह व्यापक तर्क कि विधायिकाओं द्वारा विशेषाधिकारों के प्रयोग का निर्णय मौलिक अधिकारों या संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, सही नहीं है। (जे) यदि कोई नागरिक, चाहे वह गैर-सदस्य हो या विधायिका का सदस्य, शिकायत करता है कि अनुच्छेद के तहत उसके मौलिक अधिकार हैं।

20 या 21 का उल्लंघन किया गया था, यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उक्त विवाद के गुणागुण की जांच करे, विशेष रूप से जब विवादित कार्रवाई के नागरिक परिणाम होते हैं;

(के) संविधान के अनुच्छेद 105 (3) में संसदीय कार्यवाही के लिए अनन्य संज्ञान या पूर्ण प्रतिरक्षा के दावे का कोई आधार नहीं है;

(1) विधायिका द्वारा विशेषाधिकार के प्रवर्तन के तरीके के परिणामस्वरूप न्यायिक जांच हो सकती है, हालांकि अन्य संवैधानिक प्रावधानों में निहित प्रतिबंधों के अधीन, उदाहरण के लिए

(एम) अनुच्छेद 122 (1) और अनुच्छेद 212 (1) इंग्लैंड में विधायिका के अनन्य संज्ञान के व्यापक सिद्धांत को विस्थापित करते हैं सदन की आंतरिक कार्यवाही का अनन्य संज्ञान मामले को अप्रासंगिक बनाता है-कानून जो उस अधिकार क्षेत्र में अदालतों से निकला है; क्योंकि यह भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई शासन प्रणाली पर लागू नहीं होता है; [2022] 18 एस. सी. आर.

(ओ) सामग्री की सच्चाई या शुद्धता पर अदालत द्वारा सवाल नहीं उठाया जाएगा और न ही वह सामग्री की पर्याप्तता में जाएगी या विधायिका की राय के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करेगी। (पी) आम तौर पर, विधायिका पर, एक निकाय के रूप में, किसी बाहरी उद्देश्य के लिए कार्य करने या उसके द्वारा प्रेरित होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

लापरवाही या दुर्भावनापूर्ण इरादा, और अदालत इस तथ्य के लिए छूट देते हुए दुरुपयोग या दुरुपयोग को हल्के में नहीं लेगी कि

(प्र. विधायिका को अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य के संचालन को विनियमित करने के लिए जो नियम बनाने हैं, वे संविधान के प्रावधानों के अधीन होने चाहिए। (आर) संविधान के तहत सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधायिका द्वारा बनाए गए प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों की केवल उपलब्धता, कभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उनका विधिवत पालन किया गया है;

((ङ) वे कार्यवाहियाँ जो मूल या घोर अवैधता या असंवैधानिकता के कारण दूषित हो सकती हैं, न्यायिक जांच से सुरक्षित नहीं हैं। (टी) भले ही कुछ सामग्री जिस पर कार्रवाई की जाती है, वह अप्रासंगिक पाई जाती है, तब भी अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि कार्रवाई को बनाए रखने के लिए कुछ प्रासंगिक सामग्री है;

(यू) किसी निर्धारण को अंतिम रूप देने वाला निष्कासन खंड आम तौर पर निर्णय की समीक्षा करने की अदालत की शक्ति को हटा देता है, लेकिन अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर नहीं या यह किसी कारण से अमान्य है जैसे कि घोर अवैधता, तर्कहीनता, संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन, दुर्भावना, प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन न करना और विकृति।

(जोर दिया गया)

शीश शेलर और ओआरएस। वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

23. इन सिद्धांतों को बाद की अनुलेखन पीठ द्वारा अमरिंदर सिंह 3 1 में पैराग्राफ 53 और 54 में दोहराया गया है।

यदि, विधानमंडल की शक्तियों में विलय के बारे में चिंताओं के संदर्भ में उसी निर्णय के पैराग्राफ 87 8 में टिप्पणियों का विज्ञापन करना उपयोगी होगा। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

संसदीय लोकतंत्र के विकास का हिस्सा। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने

विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों के केंद्रीकरण में निहित खतरों की ओर राजनीतिक सिद्धांतकारों का ध्यान

और संवैधानिक शासन में नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारे शासन संस्थानों को जानबूझकर अलग करने के सिद्धांत पर स्थापित किया गया है

शक्तियाँ और संविधान निर्बाध नहीं देते हैं

के साथ सद्भाव और अनुरूपता में काम करने की उम्मीद है संविधान की भावना और सार। यह स्पष्ट है कि ए

विधायी निकाय को शक्ति नहीं सौंपी गई है

एक उपयुक्त मंच के आने के बाद किसी मामले का निर्णय लेना।

संवैधानिक योजना के तहत अस्तित्व। 88. इंदिरा नेहरू में एम. एच. बेग, जे. (जैसा कि उस समय उनका प्रभुत्त्व था) द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का हवाला देना उचित होगा।

गांधी बनाम. राज नारायण 3 2: (एस. सी. सी पी. 149, पैरा 392)

" 392. ..... इन बुनियादी सिद्धांतों में से एक मुझे लगता है

यह हो कि जिस तरह अदालतें व्याख्या की आड़ में कानून बनाने के लिए संवैधानिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उसी तरह न तो हमारी संसद और न ही कोई राज्य विधानमंडल, किसी भी प्रकार की कानून बनाने की शक्ति के कथित प्रयोग में, वस्तुतः एक अनिवार्य न्यायिक कार्य करता है।

किसी भी न्यायालय में लंबित किसी विशेष मामले को वापस लेना और उस मामले के तथ्यों के लिए कानून या अपने स्वयं के मानकों को लागू करके इसका निर्णय लेने का कर्तव्य अपने ऊपर लेना। इस शक्ति को कम से कम पहले संवैधानिक रूप से छीन लिया जाना चाहिए।

फुटनोट पर ए No.15

न्यायालय संबंधित है और उसके समक्ष किसी अन्य प्राधिकारी में निहित है

उस अन्य प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। यह एक नहीं है

एक 'घटक शक्ति' की आवश्यक या यहाँ तक कि एक प्राकृतिक घटना। जैसा कि हंस केल्सन ने अपने 'जनरल थ्योरी ऑफ लॉ' में बताया है।

एक विधायी कार्य, उनकी व्याख्या और अनुप्रयोग तथ्यों के सही निर्धारण के बाद प्राप्त निष्कर्ष

आज हमारे संविधान की मूल योजना के लिए, छलांग लगाएं संवैधानिक रूप से अपनी सीमाओं के बाहर

निर्दिष्ट क्षेत्र या प्राधिकरण की कक्षा

अन्य। यह सिद्धांत का तार्किक अर्थ है

संविधान की सर्वोच्चता।

(जोर दिया गया)

24. उसी उद्देश्य के लिए, उप में संविधान पीठ का उक्ति

न्यायिक जवाबदेही पर समिति बनाम भारत संघ और Ors.[33] 33

अनुकूल रहें। रिपोर्ट किए गए निर्णय के अनुच्छेद 61 में, न्यायालय ने

वेद इस प्रकार हैः

" 61. लेकिन जहाँ, इस देश में और इंग्लैंड के विपरीत, वहाँ है एक लिखित संविधान जो मौलिक और

जो एक "उच्च कानून" को समझता है और उस पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है विधायिका और राज्य के अन्य अंग अनुदान प्राप्तकर्ताओं के रूप में

संविधान, संसदीय संप्रभुता की सामान्य घटनाएं

प्राप्त न करें और अवधारणा 'सीमित' में से एक है सरकार '। न्यायिक समीक्षा वास्तव में एक घटना है और

कानून की शक्तियों की सीमाओं की कसौटी होना राज्य के विभिन्न अंग जो शक्ति और अधिकार प्राप्त करते हैं

संविधान के तहत और यह कि न्यायिक शाखा है

संविधान का दुभाषिया और इसलिए, सीमाओं का

राज्य के विभिन्न अंगों का अधिकार। होना ही है।

नोट किया कि क्राउन के साथ ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है और

1) 4 एस. सी. सी. 699 (5-न्यायाधीश पीठ)

आशीष शेलर और ओआरएस। वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इसकी शक्तियाँ असीमित हैं और न्यायालयों के पास न्यायिक शक्तियाँ नहीं हैं।

विधान की समीक्षा "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने तब नोट किया कि यह सिद्धांत एक अर्थ में सिद्धांत है

संवैधानिक कानून में और एक संघीय व्यवस्था में अति अधिकार, न्यायपालिका

संविधान का संरक्षक बन जाता है। इसने स्पष्ट किया कि ब्रैडलॉ बनाम गोसेट 3 4 में नियम औपनिवेशिक शासन की कार्यवाही के लिए लागू नहीं था। लिखित संविधान द्वारा शासित विधायिका। पैराग्राफ 66 में, न्यायालय ने निम्नानुसार व्याख्या कीः

" 66. ब्रैडलॉफ 3 5 में सिद्धांत यह है कि एक वैधानिक अधिकार भी यदि

यह उस क्षेत्र से संबंधित है जहाँ संसद थी न कि अदालतों के

चिंता की बात। लेकिन सिद्धांत का विस्तार नहीं किया जा सकता है जहां मामला केवल एक प्रक्रिया का नहीं है, बल्कि मूल है

संविधान की व्याख्या और कानून क्या है अदालतों का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे कहें कि कानून क्या है

है। सवाल यह है कि क्या प्रस्ताव समाप्त हो गया है संविधान के प्रावधानों के आधार पर घोषित

और संबंधित कानून। वास्तव में, विद्वान महान्यायवादी

संवैधानिक प्रक्रियाएँ और कानून, इस तरह का प्रस्ताव समाप्त हो जाता है या नहीं विशेष रूप से अदालतों के निर्णय के लिए "।

(जोर दिया गया)

25. भारतीय संदर्भ में, विधानमंडल की शक्ति नहीं है

निरपेक्ष, जैसा कि अनुच्छेद 398 में राजा राम पाल 3 6 में संविधान पीठ द्वारा उल्लेख किया गया है। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" 398. हमारा विचार है कि अभ्यास का तरीका

संसद द्वारा शक्ति या विशेषाधिकार न्यायिक जांच से मुक्त है।

केवल अनुच्छेद 122 (1) में इंगित सीमा तक, अर्थात

अदालत हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगी यदि उसके सामने शिकायत लाई जाती है

34 (1884) 12 क्यूबीडी 271: 50 एल. टी. 620 35 फुटनोट पर ऊपर No.34

36 फुटनोट No.14 [2022] 18 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

"प्रक्रिया की अनियमितता" के आरोपों तक सीमित। लेकिन मामले में

दिखाया गया है, न्यायिक समीक्षा किसी भी तरह से बाधित नहीं होगी अनुच्छेद 122 द्वारा या उस मामले के लिए अनुच्छेद 105 द्वारा। अगर एक

प्रस्ताव को निरस्त करते समय जो आरोप लगाया गया था उसे स्वीकार करना

सातवीं लोकसभा द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निष्कासन कि यह

अच्छी तरह से स्वीकृत सिद्धांतों के साथ असंगत और उल्लंघनकारी था संसदीय विशेषाधिकार कानून और बुनियादी सुरक्षा उपाय

संविधान में निहित सभी को आश्वासन दिया गया ", यह एक होगा विशेषाधिकार के प्रयोग के नाम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई। हम हैं।

इस मुद्दे में नहीं जा रहे हैं, बल्कि घटना को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत कर रहे हैं।

(जोर दिया गया)

ऊपर के रूप में कहने के बाद, न्यायालय ने जांच करने के लिए आगे बढ़ाया

न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले निरीक्षण का। ऐसा था कि

निम्नलिखित शब्दों में स्थित हैः

तत्कालीन संघ द्वारा संचार से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के साथ गृह मंत्री ने नौ राज्यों को सलाह देने के लिए कहा

इसलिए लोगों से जनादेश की मांग करें, इस न्यायालय ने कहा पैरा 40 निम्नानुसार हैः (एस. सी. सी पी. 616)

" 40. इस न्यायालय ने अपने संवैधानिक अधिकार को कभी नहीं छोड़ा है।

सभी अधिनियमों की संवैधानिकता के अंतिम न्यायाधीश के रूप में कार्य करना

के अधिकार के तहत किया जाना अपेक्षित है

संविधान। इसने प्रश्नों को निर्धारित करने से भी इनकार नहीं किया है।

तथ्य या कानून का तब तक जब तक यह खुद को अपने अधिकार में पाया है

ऐसा करने की शक्ति और न्याय का कारण होने में सक्षम होना

अपने कार्यों से सिद्ध हुआ। लेकिन, यह खुद को नहीं मान सकता है

संविधान कहीं और अधिकार देता है या कार्य करता है

संविधान द्वारा अन्य विभागों को सौंपे गए कार्य

राज्य जो उन्हें करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकता है।

सभी संरक्षकों के कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन किया

संविधान में सीमाओं का उल्लंघन न करने का कर्तव्य शामिल है।

द्वारा उनकी अपनी संवैधानिक रूप से सीमित शक्तियों का

जो उचित रूप से दूसरे का क्षेत्र है, उसमें अतिक्रमण करना

संवैधानिक अंग। राजनीतिक ज्ञान के प्रश्न या

7) 3 एससीसी 592:

एयर 1977 एससी 1361 शीश शेलर एंड ओआरएस। वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

केवल कार्यकारी नीति को न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं किया जा सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्यकारी नीति भी इसके अधीन होनी चाहिए -

सीमाएँ। लेकिन, जब तक यह उस क्षेत्र के भीतर काम करता है, इसका संचालन न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त हैं। यह भी है

शक्तियों के मोटे तौर पर पृथक्करण के सिद्धांत का एक हिस्सा

बार-बार प्रस्तावित संविधान की सर्वोच्चता

यह न्यायालय और जिसका न्यायालय दृढ़ता से पालन करता है

जब उसके विचार भिन्न होते हैं या सही व्याख्या पर बदल जाते हैं

किसी विशेष संवैधानिक प्रावधान का।

(जोर दिया गया)

415. हम उक्त संकल्प की पुष्टि करते हैं और इसका कोई कारण नहीं पाते हैं।

इस न्यायालय को जिन तथ्यों और परिस्थितियों को अपनाना चाहिए

एक अलग दृष्टिकोण ताकि अपने संवैधानिक कार्यों को त्याग दिया जा सके सभी कथित कृत्यों की संवैधानिकता के अंतिम न्यायाधीश के रूप में

उसी समय में अतिक्रमण करने से बचना ऐसा क्षेत्र जो उचित रूप से संसद का अधिकार क्षेत्र हो।

416. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि यू. पी. में

विधानसभा मामला (1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1) 38 न्यायालय

अनुच्छेद 208 और 212 पर निर्भरता रखी थी जो विचार करते हैं

कि नियम विधायिका द्वारा बनाए जा सकते हैं

संविधान के भाग III के अनुरूप फिर अभ्यास शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का उचित होना तय है।

अभ्यास और संसद को सुरक्षित रूप से इस तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है

इरादा।

417. जबकि यह सच है कि नियमों के लिए कोई चुनौती नहीं है

लोकसभा में कार्य की प्रक्रिया और संचालन और नियम राज्य परिषद में कार्य की प्रक्रिया और संचालन,

जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा सक्षम करने के अभ्यास में किया गया है

अनुच्छेद 118 (1) के तहत शक्तियां, हमारी राय है कि मात्र

नियमों की उपलब्धता कभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उनके पास है

ए फुटनोट No.12 [2022] 18 एस. सी. आर.

उचित रूप से पालन किया गया। हम किससे चिंतित हैं, यह देखते हुए कि

अनुच्छेद 122 (1) में निर्धारित सीमाएँ "प्रक्रिया की अनियमितता" नहीं हैं। लेकिन अवैधता या असंवैधानिकता "।

(बोल्ड में जोर दिया जाता है)

26. इन क्रमिक संविधान पीठ में व्याख्या से

ऊपर निर्दिष्ट निर्णय, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने को स्वीकार करना संभव नहीं है-यह बताएँ कि जांच

न्यायिक जांच से सुरक्षित नहीं हैं "। दूसरी ओर, हम यह विचार रखने के पक्ष में हैं कि प्रत्येक मानदंड खंड (एफ), (जी), (एस) और (यू) सहित संसदीय विशेषाधिकारों के प्रयोग के संबंध में न्यायिक समीक्षा का महत्वपूर्ण और अनुमेय क्षेत्र है। एक अर्थ में, खंड (यू) एक व्यापक पैरामीटर है जिसे संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट किया गया है। राजा राम पाल 40, जैसा कि यह भविष्यवाणी करता है कि "किसी निर्धारण को अंतिमता से जोड़ने वाला एक निष्कासन खंड आम तौर पर निर्णय की समीक्षा करने की अदालत की शक्ति को हटा देता है, लेकिन अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर नहीं या यह किसी कारण से अमान्य है जैसे कि घोर अवैधता, तर्कहीनता, कानून का उल्लंघन।

संवैधानिक जनादेश, दुर्भावनापूर्ण, प्राकृतिक न्याय और विकृति के नियमों का पालन न करना "।

27. संविधान, अपने आप में, इस पर सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है

विधान-मंडल के विशेषाधिकार, लेकिन, निर्विवाद रूप से, वे विशेषाधिकार संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं (जैसा कि अनुच्छेद 194 (1) के प्रारंभिक भाग में और अनुच्छेद 208 (1) में भी प्रतिपादित किया गया है, जिसमें विधान-मंडल के सदन को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता होती है), जो -

संविधान के भाग III के तहत नागरिकों को गारंटीकृत अधिकार शामिल हैं। जिस क्षण यह प्रदर्शित हो जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 सहित संविधान के पैरा III के तहत किसी भी अधिकार के उल्लंघन का मामला है, विधानमंडल द्वारा शक्ति का प्रयोग असंवैधानिक हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 को आकर्षित करने के लिए, याचिकाकर्ता के लिए यह प्रदर्शित करना खुला है कि विधानमंडल की कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना है। मनमानेपन को विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उस परीक्षण को लागू करना, यह सदन के संकल्प/निर्णय की अतार्किकता का मामला हो सकता है। वास्तव में,

39 फुटनोट पर ऊपर No.14 40 फुटनोट पर ऊपर No.14 आशीष शेलर और ओआरएस।

इस मामले में, न्यायालय को ऐसे संकल्प/निर्णय की आनुपातिकता की जांच करने के लिए नहीं कहा जाता है।

28. "तर्कसंगत" अभिव्यक्ति के बीच स्पष्ट अंतर है।

और "आनुपातिक"। अभिव्यक्ति "अनुपात" एक लैटिन शब्द "अनुपात" या "आनुपातिक" से लिया गया है। इसका मतलब है आकार में अनुरूप

या किसी और चीज़ के लिए राशि। स्पष्ट रूप से, सजा अपराध के समानुपाती होनी चाहिए-जबकि, अभिव्यक्ति "तर्कसंगत" लैटिन शब्द "अनुपात" या "तर्कसंगत" से ली गई है। इसका मतलब है कि कार्रवाई विवेकपूर्ण या तार्किक कहने के लिए कारण या तर्क पर या उसके अनुसार आधारित होती है। कार्रवाई की तर्कसंगतता का परीक्षण विधायिका में विरासत में मिली शक्ति और उस शक्ति के प्रयोग दोनों के आधार पर किया जा सकता है।

29. बताए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमें आगे बढ़ना चाहिए

इन याचिकाओं में चुनौती के आधारों का विश्लेषण करें। सबसे प्रमुख आधार यह है कि सदन के लिए संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत सदन द्वारा बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

30. एम. एस. एम. शर्मा में इस न्यायालय की संविधान पीठ 4 1

संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियमों की प्रभावशीलता से निपटने का अवसर मिला। पैराग्राफ 2942 में, अदालत ने नोट किया कि अनुच्छेद 194 (3) को अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा गया था

41 फुटनोट No.11 42 (29) में कहा गया है कि यह देखते हुए कि वर्तमान कार्यवाही कला के तहत एक याचिका पर शुरू की गई है। 32 संविधान और याचिकाकर्ता के रूप में हकदार नहीं हो सकता है, बताए गए कारणों से

ऊपर, कला का लाभ उठाने के लिए। 19 (1) (क) इस आवेदन का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अनुच्छेद पर वापस आते हैं। 21 और तर्क देता है कि विशेषाधिकार समिति के समक्ष की कार्यवाही से उसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का खतरा है। विधान सभा अनुच्छेद के तहत ऐसा दावा करती है। 194 (3) इसके पास हमारे संविधान के प्रारंभ में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्राप्त सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तिएँ हैं। अगर वे हैं

शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, तो यह निश्चित रूप से उसी को लागू कर सकता है, जैसा कि हाउस ऑफ कॉमन्स कर सकता है। अनुच्छेद 194 (3) विधान सभा को यह प्रदान करता है कि शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति और कला। 208 इसे नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। बिहार विधानसभा ने उस अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए हैं। इसलिए यह उस कला का अनुसरण करता है। 194 (3) इस प्रकार बनाए गए नियमों के साथ पढ़ने पर अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और

प्रतिरक्षाएँ। यदि, इसलिए, विधान सभा के पास हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति हैं और यदि याचिकाकर्ता अंततः

विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही के परिणामस्वरूप अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित, इस तरह का अभाव कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होगा और याचिकाकर्ता अनुच्छेद के तहत अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन, वास्तविक या खतरे की शिकायत नहीं कर सकता है। 21 .

(जोर दिया गया)

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को लागू करने की प्रक्रिया। इसके अलावा,

विधान सभा के पास हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तिएँ हैं और यदि याचिकाकर्ता अपने व्यक्तिगत अधिकारों से वंचित है

विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता, इस तरह का अभाव कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होगा और याचिकाकर्ता अनुच्छेद 21 के तहत अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन, वास्तविक या खतरे की शिकायत नहीं कर सकता है। यह कहावत मानती है कि संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियमों के तहत की गई कार्रवाई और उसके अनुरूप संविधान के अनुच्छेद 21 के उद्देश्य के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन है।

31. रतिलाल भंजी मिथानी बनाम सहायक। सीमा शुल्क कलेक्टर,

बॉम्बे और Anr.43, संविधान पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में पूर्व उल्लिखित स्थिति को दोहरायाः

" ..... जैसा कि पंडित शर्मा के मामले में समझाया गया है, ये शक्तियाँ

और नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की मंजूरी है अधिनियमित कानून और अवमानना के लिए समर्पण का आदेश

विधानसभा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होती है।

दास, सी. जे. ने चार विद्वान न्यायाधीशों की ओर से पृष्ठ 861 पर कहाः

" कला. 194 (3) विधान सभा को वे शक्तियाँ प्रदान करता है, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति और कला। 208 उस पर शक्ति प्रदान करता है

फ्रेम नियम। बिहार विधान सभा ने नियम बनाए हैं - उस अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग। अतः यह इस प्रकार है -

उस कला को। 194 (3) इस प्रकार बनाए गए नियमों के साथ पढ़ें अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को लागू करने की प्रक्रिया। अगर,

इसलिए, विधान सभा के पास शक्तियां, विशेषाधिकार हैं

याचिकाकर्ता उल्लंघन, वास्तविक या धमकी की शिकायत नहीं कर सकता है कला के तहत उसका मौलिक अधिकार। 21. " सुब्बा राव, जे. अपने अल्पमत में

उस मामले में निर्णय और विशेष संदर्भ संख्या 1 में न्यायालय

1964-45 ने इस मुद्दे पर इसके विपरीत कुछ नहीं कहा।

(जोर दिया गया)

43 (1967) 3 एससीआर 926 (पृ. 929) 44 फुटनोट पर ऊपर No.11

45 फुटनोट No.12 आशीष शेलर एंड ओआरएस पर ऊपर दिया गया है।

वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

32. यह एक स्थापित कानून है जो शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बनाए गए नियम भी हैं।

और राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर कानून का गठन करते हैं। इसका खुलासा 19644 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब राज्य विधानमंडल इस शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं,

वे निस्संदेह सूची II की प्रविष्टि 39 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के तहत कार्य करेंगे। इसलिए, इस तरह के कानून के अधिनियमन को अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर एक कानून के रूप में माना जाना चाहिए।

33. इन टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में, द्वारा ली गई याचिका

बता दें कि नियम न तो वैधानिक नियम हैं और न ही सदन के लिए बाध्यकारी हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। वास्तव में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पैराग्राफ 94 में न्यायिक जवाबदेही पर उप समिति में उल्लेख किया हैः

निम्नलिखित हैः

हटाने का संसद के एक कानून द्वारा विनियमित किया जाना सुनिश्चित करता है एकरूपता और मनमानेपन की संभावना को कम करता है। अनुच्छेद 118 ए है

संसद के प्रत्येक सदन को प्रदान करने वाला सामान्य प्रावधान

प्रक्रिया के अपने नियम बनाने की शक्ति। ये हैं नियम

सदन पर बाध्यकारी नहीं हैं और द्वारा बदला जा सकता है किसी भी समय घर। इस तरह के नियमों का उल्लंघन एक

अनियमितता और न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है अनुच्छेद 122। ”

(जोर दिया गया)

इन टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करते हुए नोट किया गया है

इस बारे में कानूनी प्रश्न कि क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का मामला अनुच्छेद 118 (राज्य विधानसभा पर लागू अनुच्छेद 208 के अनुरूप) के तहत सदन द्वारा बनाए गए नियमों पर प्रबल होना चाहिए। इस न्यायालय ने माना कि संसदीय कानून अनुच्छेद 118 के तहत नियमों की तुलना में उच्च गुणवत्ता और प्रभावकारिता का है। हालाँकि, इसने इस कानूनी व्याख्या को कम नहीं किया था कि संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत विधान सभा द्वारा बनाए गए नियम संविधान के अनुच्छेद 21 के उद्देश्य के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है।

34. जो भी हो, यह अच्छी तरह से तय है कि इस तरह से बनाए गए नियम कर सकते हैं

सदन द्वारा किसी भी समय बदला जाए। हालाँकि, जब तक नियमों में बदलाव नहीं किया जाता है, तब तक सदन आमतौर पर नियमों में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा निर्देशित होता है।

46 फुटनोट पर ऊपर No.12

47 फुटनोट No.33 [2022] 18 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

विधानमंडल के भीतर की कार्यवाहियों पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि उन्हें विधानमंडल के अनुसार नहीं चलाया गया है। किहोटा होल्लोहोन में व्यापार के नियमों को दोहराया गया है। हालाँकि, वर्तमान में यह देखने के लिए पर्याप्त है कि अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियम संविधान के अनुच्छेद 21 के उद्देश्य के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का दर्जा प्राप्त करते हैं जैसा कि एम. एस. एम. शर्मा में देखा गया है। इस अवलोकन को एक अन्य संविधान पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ फिर से उद्धृत किया गया है।

राजा राम पाल 5 0, अन्य बातों के साथ, पैराग्राफ 53,167,338,416 और 417 में।

35. इस प्रकार देखा गया, भले ही विधानमंडल के पास विशेषाधिकार है

नियमों में परिवर्तन सहित नियमों से विचलन करना; तब तक, और अन्यथा भी, संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियमों में "स्पष्ट मूल शर्त" (जो केवल प्रक्रिया नहीं है) और उसमें अंतर्निहित सिद्धांत का पालन करना अपेक्षित है, जो प्रक्रिया है।

कानून द्वारा स्थापित।

36. जैसा कि ऊपर कहा गया है, नियमों के तहत निर्धारित व्यवस्था

सदस्य (निलंबन) को वापस लेने का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग करना नियमों के नियम 53 के लिए उत्तरदायी है जो इस प्रकार हैः

" 53. सदस्य को वापस लेने का आदेश देने की शक्ति। — स्पीकर ने

किसी भी सदस्य को निर्देश दे सकता है जो उसके निर्णय का पालन करने से इनकार करता है, या जिसका

आचरण, उनकी राय में, पूरी तरह से अव्यवस्थित है, वापस लेना तत्काल विधानसभा से और इस प्रकार आदेशित किसी भी सदस्य से

वापस लेना तुरंत ऐसा करेगा और इस दौरान स्वयं अनुपस्थित रहेगा

दिन की बैठक का शेष भाग। यदि किसी सदस्य को आदेश दिया जाता है कि

उसी सत्र में दूसरी बार वापस लें, अध्यक्ष

सदस्य को बैठकों से अनुपस्थित रहने का निर्देश दे सकता है

शेष अवधि से अधिक समय तक किसी भी अवधि के लिए सभा

सत्र का, और इस प्रकार निर्देशित सदस्य स्वयं अनुपस्थित रहेगा।

तदनुसार। जिस सदस्य को अनुपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है, वह इस अवधि के दौरान

ऐसी अनुपस्थिति की अवधि, के साथ अनुपस्थित मानी जाएगी

के खंड (4) के अर्थ के भीतर सभा की अनुमति

संविधान का अनुच्छेद 190 "।

(जोर दिया गया)

48 फुटनोट पर ऊपर No.25 (पैरा 42) 49 फुटनोट पर ऊपर No.11

50 फुटनोट No.14 आशीष शेलर एंड ओआरएस पर ऊपर दिया गया है।

वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह नियम न केवल सदन से किसी सदस्य को वापस लेने के कठोर आदेश को पारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताता है लेकिन श्रेणीबद्ध (वस्तुनिष्ठ मानक) तरीके से किए जाने वाले आत्म सुरक्षा उपाय की मूल अनुशासनात्मक या तर्कसंगतता के बारे में भी। पूर्ववर्ती (प्रक्रिया) का गैर-अनुपालन या विचलन गैर-न्यायोचित हो सकता है। हालांकि, गलती करने वाले सदस्य पर लगाए गए आत्म-सुरक्षा उपाय की मूल अनुशासनात्मक या तर्कसंगतता के संबंध में, असंवैधानिक, घोर रूप से अवैध और तर्कहीन या मनमाना होने के आधार पर न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है।

37. उपरोक्त नियम के संदर्भ में, शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा एक अर्ध-न्यायिक आदेश के रूप में किया जाता है जिसमें सदस्य को पद से हटने का निर्देश दिया जाता है।

विधानसभा की बैठकें। अध्यक्ष से इस शक्ति का प्रयोग केवल उस स्थिति में करने की अपेक्षा की जाती है जब सदस्य का आचरण "घोर अव्यवस्थित" और श्रेणीबद्ध उद्देश्यपूर्ण तरीके से हो। इसका कारण यह सुनिश्चित करना है कि दिए गए दिन या चल रहे सत्र में सदन का कार्य,

एक या अधिक सदस्यों के कदाचार के कारण मामले को व्यवस्थित तरीके से और बिना किसी व्यवधान के चलाया जा सकता है। उक्त नियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "घोर अव्यवस्थित" है।

38. "घोर अव्यवस्थित" अभिव्यक्ति को नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी 1 में दी गई अभिव्यक्ति "सकल" का अर्थ इस प्रकार हैः

" सकल, ए. जी. (14(ग) 1. आकार या अन्य ध्यान देने योग्य गुणों के कारण विशिष्ट; विशेष रूप से। , परिमाण <एक सकल कोरिंथियन कॉलम> के कारण स्पष्ट। 2. कटौती द्वारा कम नहीं; संपूर्ण <सकल लाभ>। 3. विशिष्ट या विस्तृत नहीं; सामान्य <एक सकल अनुमान>। 4. अर्थ या अर्थ में मोटा <स्थूल कठबोली>। 5 .

व्यवहार या रूप में घृणित; बीमार <स्थूल आदतों के साथ एक स्थूल साथी]। 6. सभी उचित उपायों से परे; स्पष्ट

<एक घोर अन्याय "।

" स्थूल रूप से ", एक क्रियाविशेषण है और अपेक्षाकृत उच्च स्तर के कदाचार का संकेत है या इसलिए बेहद गलत और विचलित कहने के लिए।

39. ब्लैक लॉ डिक्शनरी 52 में परिभाषित "विकार" अभिव्यक्ति इस प्रकार हैः

" अव्यवस्था। (1877) 1. उचित व्यवस्था की कमी <फाइलों का विकार>। 2. एक अनियमितता <कार्यवाही में एक अव्यवस्था>। 3. ए 51 11 वां संस्करण

सार्वजनिक अशांति; एक दंगा। सिविल डिसऑर्डर देखें। 4. ए.

मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी <एक भावनात्मक विकार>

<एक यकृत विकार> "।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी 53 में परिभाषित "अव्यवस्थित" अभिव्यक्ति इस प्रकार है:

" अव्यवस्थित रूप से। अच्छी व्यवस्था और व्यवहार के नियमों के विपरीत; सार्वजनिक शांति या अच्छी व्यवस्था का उल्लंघन; अशांत, दंगापूर्ण, या

अभद्र "।

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश 54 में, अभिव्यक्ति "अव्यवस्थित" है।

इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" अव्यवस्थित रूप से। 1 अव्यवस्थित; भ्रमित। 2 अनियमित; अनियंत्रित; दंगाई। 3

सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत कानून।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी 55 में परिभाषित "अव्यवस्थित आचरण" अभिव्यक्ति इस प्रकार है:

" अव्यवस्थित आचरण। कंडक्ट देखें

आचरण, एन। (15 ग) व्यक्तिगत व्यवहार, चाहे क्रिया या निष्क्रियता से, मौखिक या अशाब्दिक; जिस तरह से एक व्यक्ति व्यवहार करता है; सामूहिक रूप से, एक व्यक्ति के कार्य। आचरण में अभिनेता की प्राकृतिक मृत्यु या मृत्यु शामिल नहीं है जो जानबूझकर किए गए व्यवहार के परिणामस्वरूप होती है, लेकिन ऐसा होने की उचित रूप से उम्मीद नहीं की जाती है।

परिणाम। आचरण, vb "।

40. "घोर" और "अव्यवस्थित" अभिव्यक्तियों के अर्थ की समग्रता को देखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि सदस्य का आचरण ऐसा हो कि वह सदन के सुचारू या व्यवस्थित कामकाज में बाधा डाल रहा हो, और यह ऐसी प्रकृति का भी हो सकता है कि इससे सदन की बदनामी होने की संभावना हो। इसमें विभिन्न परिस्थितियाँ शामिल हो सकती हैं और इसलिए, तर्कसंगत सुधारात्मक तंत्र का निहित अभ्यास सर्वोत्कृष्ट है। की कार्रवाई

विधानसभा की बैठकों से किसी सदस्य का निलंबन या वापस लेने का निर्देश आत्म-सुरक्षा की प्रकृति का है और अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सदन अपने किसी भी सदस्य के कदाचार के कारण अपनी चल रही कार्यवाही में बाधा या व्यवधान से खुद को बचा सके। यह शक्ति किसी

सदस्य को दंडित करने के विशेषाधिकार से अलग है, जिसके लिए उच्च स्तर के अभाव की आवश्यकता हो सकती है।

55 11 छठा संस्करण आशीष शेलर और ओआरएस। वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में भाग लेने वाले सदस्य का। किसी दिए गए मामले में, यह निष्कासन के रूप में हो सकता है जो सदन से सदस्य के बहिष्कार का उच्चतम स्तर है। कारावास का आदेश देने की स्थिति में एक और दंडनीय होगा।

सदन की अवमानना के कार्य के कारण। हम इस पहलू पर थोड़ी देर बाद इस चुनौती से निपटने के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे।

संकल्प पूरी तरह से तर्कहीन है।

41. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि नियमों के नियम 53 में सदन के कामकाज के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा अपनाए जाने वाले एक श्रेणीबद्ध (तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानक) दृष्टिकोण का प्रावधान है। में।

हालाँकि, वर्तमान मामले में संसदीय कार्य मंत्री ने अवमानना के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पेश किया।

सदन, जिसे सभापति ने 14 बजे तुरंत मतदान के लिए रखने की अनुमति दीः 40 उसी दिन घंटे और इसे सदन द्वारा कुछ ही समय में बहुमत से पारित कर दिया गया। वास्तव में, यदि यह सदन में घोर अव्यवस्थित व्यवहार का मामला है, तो अध्यक्ष/सभापति स्वयं दिन की शेष बैठक के दौरान विधानसभा की बैठकों से सदस्य को वापस लेने का आदेश देने के लिए तत्काल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और यदि यह शेष सत्र के लिए उसी सत्र में दोहराए गए कदाचार का मामला है। 42. मान लीजिए, संवैधानिक योजना या अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदन के किसी सदस्य को उसके घोर अव्यवस्थित आचरण के आधार पर किसी सदस्य को वापस लेने का निर्देश देने के लिए प्रस्ताव पेश करने से रोक सके। इसके अलावा, यदि अध्यक्ष स्वतः सदस्य को उसी दिन विधानसभा से हटने का निर्देश दे सकते हैं

43. वर्तमान मामले में, सभापति ने विषय प्रस्ताव पर विचार किया और सदन से उस पर मतदान करने का आह्वान किया, जिसका प्रभाव मौन सहमति देने का था, यदि स्पष्ट सहमति नहीं थी। इस मायने में, यह सदन द्वारा पारित प्रस्ताव (अपने सदस्यों को निलंबित करने के लिए) का मामला नहीं है क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह अलग बात है कि अगर अध्यक्ष/सभापति को ऐसा करना था, यह केवल नियम 53 के तहत शेष दिन के लिए क्रमिक तरीके से और शेष सत्र के लिए उसी सत्र में दोहराए गए कदाचार के लिए हो सकता था। यह संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप एक तार्किक और तर्कसंगत दृष्टिकोण होगा।

44. यदि सदन अपने सदस्यों को अनुशासित करने की जिम्मेदारी लेता है, तो उससे उसी श्रेणी (तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानक) को अपनाने की उम्मीद की जाती है।

नियम 53 में वर्णित रेखाओं पर दृष्टिकोण। यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सदन द्वारा की गई तर्कसंगत कार्रवाई का मामला होगा। ब्लैक लॉ डिक्शनरी 56 में "तर्कसंगत" अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" तर्कसंगत, ए. जी. (14(ग) 1. अनुभूति की क्षमताओं से संपन्न पारंपरिक रूप से सोचा जाता है कि मनुष्यों को क्रूरों से अलग करने के लिए एक तर्कसंगत व्यक्ति के रूप में माना जाता है। 2. भावना के बजाय तर्क पर आधारित; स्पष्ट सोच के माध्यम से प्राप्त; बेतुका, बेतुका, मूर्खतापूर्ण या काल्पनिक नहीं। 3. (एक व्यक्ति के बारे में) स्पष्ट रूप से और समझदारी से सोचने में सक्षम; स्पष्ट-दिमाग और सही-दिमाग वाले <जोन्स तर्कसंगत थे महिला
की मृत्यु का समय "।

एक तर्कसंगत निर्णय के विपरीत, यह तर्कहीन या बेतुका दृष्टिकोण का मामला होगा। अभिव्यक्ति "अतार्किक" जैसा कि परिभाषित किया गया है

ब्लैक लॉ डिक्शनरी 57 इस प्रकार हैः

“ अतार्किक, एड। (16 ग) तर्क द्वारा या तथ्यों के उचित विचार द्वारा निर्देशित नहीं <एक तर्कहीन निर्णय>। आर्बिट्रेरी देखें।

मनमाना, ए. जी. (15(ग) 1. व्यक्तिगत विवेकाधिकार के आधार पर; विचार किए बिना किए गए निर्धारण का, उससे संबंधित, या शामिल करना। तथ्यों, परिस्थितियों, निश्चित नियमों या प्रक्रियाओं का या उनके प्रति सम्मान। 2. (न्यायिक निर्णय) कारण या तथ्य के बजाय पूर्वाग्रह या वरीयता पर आधारित है।

• इस प्रकार के निर्णय को अक्सर मनमाना और मनमौजी कहा जाता है।

सी. एफ. शानदार। — मनमानी, एन। ”

45. एक प्राथमिकता, यदि सदन द्वारा पारित प्रस्ताव में उक्त नियम के तहत निर्धारित अवधि से अधिक निलंबन का प्रावधान करना था, तो यह

यह पूरी तरह से अवैध, तर्कहीन और असंवैधानिक होगा। इसमें, नियम 53 में प्रतिपादित श्रेणीबद्ध (तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानक) दृष्टिकोण अध्यक्ष द्वारा पालन किया जाने वाला मानदंड है जो उन्हें बिना किसी बाधा या बाधा के सदन का सुचारू रूप से काम करना सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है और अवज्ञाकारी सदस्य को पूरे सत्र के शेष भाग तक अधिकतम अवधि के लिए सदन से दूर रखता है।

56 11 संस्करण 57 11 वां संस्करण आशीष शेलर और ओआरएस।

46. सदन के सुचारू रूप से काम करने/कार्य करने को सुनिश्चित करने की तुलना में "आवश्यक अवधि से परे" अवधि के लिए निलंबन

सत्र "अपने आप में"; और नियम 53 में निर्दिष्ट अंतर्निहित उद्देश्य मानक के अनुसार, निस्संदेह, गलती करने वाले सदस्य के खिलाफ अपनाए गए घोर तर्कहीन उपाय के दुष्प्रभाव से पीड़ित है और

काफी हद तक अवैध और असंवैधानिक।

47. यह एक अलग मामला है अगर सदन सदस्य के निष्कासन के प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गया था, तो किसी दी गई स्थिति में वह किस शक्ति का वैध रूप से प्रयोग कर सकता है, जैसा कि राजा राम पाल 58 में माना गया है। यह कार्रवाई सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराएगी और उसे अपनी सीट की छुट्टी की तारीख से छह महीने की वैधानिक अवधि के भीतर उसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित होने की अनुमति भी देगी। हालाँकि, यदि यह सत्र के शेष भाग से परे की अवधि के लिए निलंबन का मामला है, तो यह अनावश्यक (अनावश्यक) अभाव में होगा। और लंबे या अत्यधिक अवमूल्यन को न केवल तर्कहीन माना जाएगा, बल्कि विकृति के करीब या सीमा माना जाएगा। परिणामस्वरूप, ऐसी कार्रवाई कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करेगी और स्पष्ट रूप से मनमाना, घोर तर्कहीन और अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करेगी।

48. यह ध्यान दिया जाए कि चल रहे सत्र की शेष अवधि से आगे का निलंबन न केवल घोर तर्कहीन उपाय होगा, बल्कि संबंधित सदस्य के अनावश्यक रूप से वंचित होने के कारण बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों का भी उल्लंघन होता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। इसका भी होगा असर

अलोकतांत्रिक तरीके से सदन में विपक्षी दल की संख्या में हेरफेर करने के लिए उस समय की कम बहुमत वाली सरकार (गठबंधन सरकार) को अनुमति देकर समग्र रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था। इतना ही नहीं, विपक्ष अपने सदस्यों के लंबे समय तक निलंबित रहने के लगातार डर के कारण सदन में चर्चा/बहस में प्रभावी ढंग से भाग नहीं ले पाएगा। कोई उद्देश्यपूर्ण या सार्थक बहस नहीं होगी, लेकिन बहुमत की इच्छा के अनुसार होगी। यह समग्र लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं होगा।

49. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मौलिक अधिकारों की गारंटी है।

संविधान के भाग III द्वारा, जिसमें से अनुच्छेद 14,19 और 21 को कार्यपालिका के साथ-साथ विधायी कार्यों की वैधता का परीक्षण करने के लिए सबसे अधिक बार लागू किया जाता है, जब ये कार्य न्यायिक जांच के अधीन होते हैं। मौलिक अधिकार अध्याय के तहत संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और भाग IV में निदेशक सिद्धांतों को एक अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। 58 फुटनोट No.14 [2022] 18 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

निष्कासन के रूप में विधान सभा या विधानसभा की बैठक से वापस लेने का निर्देश देकर निलंबन का मामला सत्र का शेष भाग।

50. जो भी हो, विवादित प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि इसे सदन में बहुमत से तुरंत पारित कर दिया गया है सभापति द्वारा मतदान के लिए रखे जाने के बाद। वास्तव में इसे सदन की अवमानना करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था, जो आमतौर पर विशेषाधिकारों से संबंधित नियमों के भाग XVIII के तहत आगे बढ़ना चाहिए था। इसके लिए संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देकर पूरे मामले की जांच करने के लिए विशेषाधिकार समिति के गठन की आवश्यकता होती। उस प्रक्रिया को अपनाने के बजाय, सदन ने स्वयं इस प्रक्रिया को वापस लेने का निर्देश दिया।

एक वर्ष की अवधि के लिए विधानसभा की बैठकों के याचिकाकर्ता-कौन सा निर्देश न तो नियमों के भाग XVIII या नियम 53 में निर्धारित व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है जो अध्यक्ष को ऐसा करने में सक्षम बनाता है।

51. जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह प्रक्रियात्मक अनियमितता का मामला नहीं है

जैसे कि। जबकि, इस मामले में सदन द्वारा लिया गया निर्णय, की अवधि से परे निलंबन का निर्देश देने में एक ठोस अवैधता है।

सत्र का शेष भाग जिसमें प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सिद्धांत रूप से अंतर्निहित नियम 53 सहित क्रमिक तरीके से बहुत कम करने के लिए आवश्यक अवधि से अधिक निलंबन की अवधि, चल रहे सत्र के दौरान सदन के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए तर्कसंगत या वस्तुनिष्ठ मानक दृष्टिकोण के विपरीत होगी।

52. विवादित संकल्प के घोर तर्कहीन होने की चुनौती की ओर लौटना। जैसा कि पहले देखा गया है, नियम 53 एक श्रेणीबद्ध का प्रावधान करता है। (तर्कसंगत और उद्देश्य मानक) दृष्टिकोण। नियम 53 में निर्दिष्ट समय-सीमा, दिए गए सत्र में सदन के कामकाज का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सदन की तत्काल चिंता को दूर करने के उद्देश्य से है। यह कार्रवाई आवश्यकता के सिद्धांत पर निहित है। अध्यक्ष और उस मामले के लिए, यहां तक कि सदन भी समग्र रूप से या बहुमत से, तर्कसंगत उपाय होने के नाते इस तरह के तंत्र का सहारा लेने की अपनी शक्ति के भीतर होगा। उल्लिखित समय सीमा को पार करना एक ठोस मामला है न कि एक प्रक्रियात्मक अनियमितता। यह एक बुनियादी सवाल उठाएगा कि लगातार आशीष शीलर और ओआरएस के लिए सदस्य को सदन से वापस लेने से क्या उद्देश्य पूरा होगा।

साठ दिन [अनुच्छेद 190 (4)] या छह महीने (1951 अधिनियम की धारा 151 ए) की अवधि के बाद, सदन ऐसे सदस्य को निष्कासित करने की अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है, जो एक बड़ी शक्ति है। 53. निस्संदेह, एक दिन के लिए या सत्र के शेष भाग के लिए निलंबन, उस शक्ति का कम मात्रा में प्रयोग होगा। हालांकि, यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि उच्च स्तर की शक्ति में सदस्य को सदन के कामकाज के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा से दूर रखने के लिए आवश्यक अवधि से आगे निलंबित करने की शक्ति शामिल होगी। जैसा कि अमरिंदर सिंह में बताया गया है, विधायी विशेषाधिकारों के प्रयोग की जांच के लिए महत्वपूर्ण विचार है

क्या विधायी कार्यों की अखंडता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। इस न्यायालय ने मान्यता दी थी कि विधानमंडल की शक्ति इसकी अवमानना के लिए दंड को अनियंत्रित नहीं किया गया था। विधायी सदन की अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की वह शक्ति के साथ मेल खाना चाहिए

अपने कार्य की अखंडता की रक्षा करने में विधानमंडल का हित। दूसरे शब्दों में, किसी सदस्य के निलंबन को एक अल्पकालिक या एक अस्थायी उपाय के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि संबंधित विधानसभा सत्र के कामकाज में व्यवस्था बहाल की जा सके ताकि समय के भीतर अपने निर्धारित कार्य को पूरा किया जा सके और अयोग्य के खिलाफ अनुशासनात्मक उपाय किए जा सकें।

सदस्य (ओं)। 54. "निलंबन" शब्द अनिवार्य रूप से सदन में सदस्य की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार, निलंबन का सहारा लिया जा सकता है

केवल संबंधित सत्र के दौरान सदन के कामकाज का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए। इससे अधिक कुछ भी अतार्किक निलंबन होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सदस्य उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ से वह विधिवत निर्वाचित हुआ है और लंबे समय तक निलंबन से सदन में प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से वंचित होना पड़ता है। यह सच है कि मतदान करने और प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और यह पूर्ण अधिकार नहीं है। वास्तव में, निर्वाचन क्षेत्र को अयोग्य या निष्कासित सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। हालाँकि, उनके प्रतिनिधि को संविधान के अनुच्छेद 190 (4) और 1951 के अधिनियम की धारा 151 ए में निर्दिष्ट समय सीमा सहित चल रहे विधानसभा सत्र से जुड़ी आवश्यक (तर्कसंगत) अवधि से परे निलंबन की आड़ में सदन से दूर नहीं रखा जा सकता है।

59 फुटनोट No.15 पर उपर्युक्त (पैरा 47 और 66)

55. चाहे जो भी हो, निलंबन अनिवार्य रूप से एक अनुशासनात्मक है।

माप। इसके बाद एक साल की अवधि के लिए निलंबन दंडात्मक होगा और निष्कासन से भी बदतर सजा होगी। लंबे समय तक और सत्र के बाद के लिए निलंबन का प्रभाव है -

एक वास्तविक रिक्ति का निर्माण करना, हालांकि एक न्यायिक रिक्ति नहीं। राज्य का तर्क है कि सदन से निलंबन के बावजूद, सदस्य एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सदन के बाहर अन्य सभी कार्यों का निर्वहन करना जारी रखेंगे। हमारे विचार में यह याचिका कमजोर है। क्योंकि, इस तरह के निलंबन का प्रभाव न केवल उस निर्वाचन क्षेत्र पर पड़ता है जो संभावित रूप से लंबे और अनावश्यक समय तक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि विधानसभा के कामकाज पर भी पड़ता है। निर्वाचन क्षेत्र की विशेष जरूरतों या कठिनाइयों को प्रकाश में लाने में भूमिका के अलावा, एक सदस्य विभिन्न प्रस्तावों, बहसों, मतों आदि में भी भूमिका निभाता है। 6 . किसी भी मामले में, यह याचिका व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए आवश्यक सीमित कार्रवाई की आवश्यकता वाले तर्क को कम नहीं कर सकती है।

संबंधित सत्र के लिए अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए दिए गए दिन या अधिकतम सत्र में सदन का कार्यकरण।

56. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि एक साल का निलंबन उससे भी बदतर है।

" निष्कासन "", अयोग्यता "या" त्यागपत्र "-जहाँ तक अधिकार का संबंध है

सदन/विधानसभा के समक्ष प्रतिनिधित्व किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है। इसमें, लंबे समय तक निलंबन निष्कासन से अधिक कठोर अधिकारों को प्रभावित करने के लिए बाध्य है, जिसमें 1951 के अधिनियम की धारा 151 ए के संदर्भ में निर्दिष्ट समय के भीतर मध्यावधि चुनाव आयोजित किया जाता है, जो छह महीने के बाद नहीं होता है। इस प्रकार, विवादित संकल्प अनुचित, तर्कहीन और मनमाना है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

57. यह कहने के बाद, अब हम दो निर्णयों की ओर रुख कर सकते हैं

राजा राम पालो 1 में अनुच्छेद 284 से 293 में संविधान पीठ द्वारा निर्दिष्ट और चर्चा की गई प्रिवी काउंसिल। वही इस प्रकार पढ़ता हैः 60 सदन/विधानसभा में निर्वाचित प्रतिनिधि के कुछ कार्य (महाराष्ट्र विधान सभा नियमों से लिए गए) इंगित करेंगे कि सदस्य निलंबित होने पर निम्नलिखित मामलों में भाग नहीं ले पाएगाः

(क) एक प्रस्ताव पेश करना जिसके लिए विधानसभा द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रभाग द्वारा निर्णय भी शामिल है।

(नियम 23,40,41); (बी) भाषणों सहित प्रस्ताव पर बहस में भाग लेना (नियम 33,34); (सी) मंत्रियों द्वारा दिए गए बयानों पर प्रश्न पूछना (नियम 47); (डी) व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना (नियम 48); (ई) मंत्रियों से सार्वजनिक चिंता के मामलों पर प्रश्न (नियम 68); (एफ) तत्काल प्रकृति के प्रश्नों पर तत्काल

उत्तर के लिए लघु सूचना प्रश्न (नियम 86); (जी) निजी सदस्य विधेयक (नियम 111); (एच) पर्याप्त सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा (नियम 94); (आई) अविश्वास प्रस्ताव (नियम 94)

95) ; (जे) स्थगन प्रस्ताव (नियम 97); (के) सार्वजनिक महत्व के मामलों पर विचार करने के लिए समिति सहित समितियों के सदस्यों के रूप में भागीदारी,

सलाहकार समिति, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति आदि (नियमों का भाग XV)।

61 फुटनोट No.14 शीश शेलर एंड ओआरएस पर ऊपर दिया गया है।

वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 284. अंत में, बार्टन 62 में इसमें न्यू साउथ वेल्स की विधान सभा से एक सदस्य का निलंबन शामिल था। अनिश्चित काल के लिए निलंबन की शक्ति को विधान सभा के लिए अनुपलब्ध माना गया था क्योंकि कहा जाता था कि इसने दंडात्मक क्षेत्र में अतिक्रमण किया था। फैसला सेलबोर्न के अर्ल द्वारा दिया गया था। कीले और डॉयल 64 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहाः

" यह उन अधिकारियों का परिणाम है कि उस तरह की कोई शक्तियाँ नहीं हैं।

औपनिवेशिक विधान सभा में घटना या अंतर्निहित हैं

(व्यक्त अनुदान के बिना), सिवाय 'जो आवश्यक हैं

ऐसे शरीर का अस्तित्व, और इसका उचित अभ्यास

जिन कार्यों को निष्पादित करने का इरादा है '।

बैठने के बाद बैठे, पचास के कोटा को निलंबित करने की शक्तियाँ

या अव्यवस्थित। यह तर्क देना कि निष्कासन अधिक है शक्ति, और निलंबन कम, और यह कि अधिक होना चाहिए

कम के सभी स्तरों को शामिल करें, उनके प्रभुत्त्वों को लगता है

भ्रामक। घटकों के अधिकारों को, एक में नहीं होना चाहिए

इस तरह का सवाल, दृष्टि से बाहर छोड़ दिया जाना। ये हैं अधिकार

एक द्वारा अधिक गंभीरता से हस्तक्षेप किया जाएगा

निष्कासन की तुलना में अनावश्यक रूप से लंबा निलंबन,

जिसके बाद तुरंत एक नया चुनाव होगा।

(जोर दिया गया)

285. न्यायालय ने जांच की कि क्या आवश्यक है और पाया कि अनिश्चितकालीन निलंबन को कभी भी आवश्यक नहीं माना जा सकता है।

286. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने उपरोक्त अंतर पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि सीमित शक्ति नहीं है

निष्कासन की परिकल्पना की गई है और इसका उपयोग केवल प्रत्यक्ष अवमानना के लिए किया जा सकता है।

287. हम याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं। भले ही हम स्वीकार करें

ए फुटनोट संख्या 9 पर

कीले बनाम विलियम कार्सन, (1842) 4 मूर पीसी 63: 13 ईआर 225 विलियम डॉयल बनाम जॉर्ज चार्ल्स फाल्कनर, (1865-67) LR 1 PC 328: 36

33 :

भारतीय संसद पर लागू होने वाला यह भेद, हमारी राय में,

निष्कासन की शक्ति उपलब्ध होगी।

अवमानना के लिए दंड, यह पाता है कि भले ही विधायी विधानसभा के पास अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की शक्ति नहीं है,

चूँकि यह दंडात्मक प्रकृति का था, इसलिए सभा ने

निष्कासन को गैर-दंडात्मक मानते हुए निष्कासन की शक्ति

शक्ति। दूसरा, यह आपत्ति कि सीमित शक्ति हो सकती है

केवल प्रत्यक्ष अवमानना से निपटना मान्य नहीं है। 289. उपरोक्त संदर्भ में, संदर्भ दिया जा सकता है।

हार्नेट वी। क्रिक "। इस मामले में एक का निलंबन शामिल था

न्यू साउथ वेल्स की विधान सभा के सदस्य जब तक के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे में जूरी का फैसला

सदस्य को सौंप दिया गया था। निलंबन को चुनौती दी गई थी। जब मामला प्रिवी काउंसिल के सामने आया, तो उत्तरदाताओं ने

तर्क दिया किः

" विधान सभा के पास पारित करने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं थी [

स्थायी आदेश]। इसकी अंतर्निहित शक्तियाँ उचित अभ्यास के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक और रक्षात्मक उपायों तक सीमित थीं।

इसके कार्य और इसके व्यवसाय का संचालन। उन्होंने उस ओर से व्यक्त वैधानिक शक्ति के अभाव में दंडात्मक उपायों का विस्तार नहीं किया, बल्कि केवल सुरक्षात्मक उपायों का विस्तार किया। ..... यह तथ्य कि प्रतिवादी के खिलाफ एक आपराधिक आरोप लंबित है, चैंबर में व्यवसाय के पाठ्यक्रम को प्रभावित या बाधित नहीं करता है।

या उसके सुव्यवस्थित आचरण से संबंधित है।

290. इस तर्क को खारिज कर दिया गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसकी अनुमति दी।

अपील की। लॉर्ड मैकनाघटेन, निर्णय देते हुए, शुरू में

यह देखा गया किः

कोई भी संभवतः यह तर्क नहीं देगा कि विधानसभा का सुव्यवस्थित आचरण केवल इस तथ्य से बाधित या प्रभावित होगा।

कि एक सदस्य के खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित है

घर "। (475)

291. लेकिन उन्होंने पाया कि मामले की कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ

वजन दिए जाने के योग्य। न्यायालय ने आगे कहाः

ए फुटनोट संख्या 9 पर

रेंस जोसेफ हार्नेट बनाम विलियम पैट्रिक क्रिक, 1908 एसी 470: 78 एलजेपीसी 38: 99

1 (पीसी)

शीश शेलर और ओआरएस। वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" यदि सदन ने स्वयं कम अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया है

अस्थायी निलंबन, सजा के रूप में नहीं, बल्कि आत्मरक्षा, न्यायालय के लिए यह घोषित करना असंभव प्रतीत होता है

कि सदन अपने निर्णय में इतना गलत था, और स्थायी

आदेश और उस पर स्थापित संकल्प के लिए इतना विदेशी अधिनियम द्वारा परिकल्पित उद्देश्य, कि कार्यवाहियों को

अमान्य घोषित किया जाए "। (476)

(जोर दिया गया)

292. उपरोक्त मामला इस प्रकार स्थापित करता है कि भले ही सदन विधायिका के पास सीमित शक्तियाँ हैं, ऐसी शक्ति केवल नहीं है

प्रत्यक्ष अवमानना तक सीमित, लेकिन यहाँ तक कि किए गए कार्य भी

घर के बाहर। यह विधानसभा के लिए इसका उपयोग करने के लिए खुला है

"सुरक्षात्मक" उद्देश्यों के लिए शक्ति, और वे कार्य जो यह कर सकता है

अधिनियम केवल वे नहीं हैं जो सदन में किए गए हैं, लेकिन किसी भी ऐसी चीज पर जो सदन की गरिमा को कम करती है। इस प्रकार,

याचिकाकर्ताओं का निवेदन है कि केवल सदन के पास शक्ति है

इसकी कार्यवाही के दौरान बाधाओं को हटाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

किसी भी विधायी निकाय को अपने सदस्यों के माध्यम से कार्य करना चाहिए और सदस्यों और सदस्यों के आचरण के बीच संबंध

सदन की धारणा मजबूत है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि

भले ही संसद के पास केवल सीमित उपचारात्मक शक्ति थी

अवमानना के लिए दंड, निष्कासित करने की शक्ति अच्छी तरह से भीतर होगी

इस तरह की उपचारात्मक अवमानना शक्ति की सीमाएँ।

(बोल्ड में जोर दिया जाता है)

प्रिवी काउंसिल के दो निर्णय (बार्टन 67 और लॉरेंस)

ओह हार्नेट) को उस मामले में जवाब देने के लिए सेवा में लगाया गया था

विधायिका के पास दंडित करने की अंतर्निहित सीमित उपचारात्मक शक्ति है अपने सदस्य के निलंबन के माध्यम से प्रयास करें और इसका सहारा नहीं ले सकते

सदस्य का सायन। संविधान पीठ ने देखा कि ये भी

ए फुटनोट संख्या 9 पर

ए फुटनोट No.66 [2022] 18 एस. सी. आर.

प्रिवी काउंसिल के दो फैसलों ने अपने सदस्य को निष्कासित करने की विधानमंडल की अंतर्निहित शक्ति को मान्यता दी और इस प्रकार, उस संबंध में याचिकाकर्ता की याचिका को नकार दिया। इस न्यायालय ने उक्त निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि अनुच्छेद 105 (3) के तहत संसद सहित संविधान द्वारा भारत में स्थापित विधानमंडलों को अवमानना की उपचारात्मक शक्ति से उत्पन्न निष्कासन की शक्ति के दावे से इनकार करने की आवश्यकता नहीं है।

58. उक्त निष्कर्ष से जो निकलता है वह यह है कि संविधान पीठ ने घोषणा की कि विधानमंडल की अंतर्निहित शक्ति

पूर्ण नहीं है, लेकिन अवमानना के लिए दंडित करने और ऐसे उपाय करने के लिए सीमित उपचारात्मक शक्ति है जो न्यायपालिका के व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए आवश्यक हैं। सदन की कार्यवाही।

59. बार्टन का मामला पैराग्राफ 284 में देखा गया है।

जिसने बदले में न्यू साउथ वेल्स की विधान सभा से सदस्य के निलंबन से निपटा था। उस मामले में, सदन द्वारा पारित प्रस्ताव में सदस्य के निलंबन की समय सीमा का उल्लेख नहीं था। इसे पीड़ित सदस्य द्वारा तर्कहीन और अनावश्यक होने के कारण चुनौती दी गई थी। उस याचिका पर प्रिवी काउंसिल द्वारा एडवर्ड कीले और थॉमस विलियम डॉयल में अपने पहले के फैसलों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया था। (इन निर्णयों को संविधान पीठ द्वारा भी अनुच्छेद 283 में जोड़ा गया है)। इन निर्णयों को ध्यान में रखने के बाद, बार्टन 2 में प्रिवी काउंसिल ने नोट किया कि उन अधिकारियों ने ऐसी स्थिति से निपटा था कि उस तरह की कोई भी शक्ति औपनिवेशिक में घटना या अंतर्निहित नहीं है।

विधान सभा (व्यक्त अनुदान के बिना), उन कार्यों को छोड़कर जो ऐसे निकाय के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, और उन कार्यों का उचित अभ्यास जिन्हें वह निष्पादित करने का इरादा रखती है।

60. इसका पालन करना चाहिए कि किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में

विधानमंडल को अपने सदस्यों को चल रहे सत्र की अवधि से आगे निलंबित करने की शक्ति प्रदान करते हुए, विधानमंडल की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग केवल आवश्यक सीमा तक और प्रासंगिक समय पर सदन के कार्यों के उचित प्रयोग के लिए किया जा सकता है। अधिक नहीं। उस उद्देश्य के लिए, यह केवल सुरक्षात्मक और आत्मरक्षात्मक शक्तियों का सहारा ले सकता है और बिल्कुल भी दंडात्मक नहीं। इस तर्क को बार्टन "73 के उक्ति से प्रबलित किया गया है जिसमें प्रिवी काउंसिल ने निम्नानुसार उल्लेख किया है:

69 फुटनोट संख्या 9 पर ऊपर दिया गया है

70 फुटनोट पर ऊपर No.63

71 फुटनोट पर ऊपर No.64

72 फुटनोट संख्या 9 पर ऊपर दिया गया है 73 फुटनोट संख्या 9 आशीष शेलर एंड ओआरएस पर ऊपर दिया गया है।

" ..... " यदि औपनिवेशिक सभा का कोई सदस्य दोषी है

सदन में बैठने के दौरान अव्यवस्थित आचरण, उन्हें हटाया जा सकता है या कुछ समय के लिए बहिष्कृत किया गया, या यहाँ तक कि निष्कासित भी किया गया। हटाने का अधिकार

आत्म-सुरक्षा एक बात है, सजा देने का अधिकार दूसरी बात है।

..... यदि औपनिवेशिक के सदस्यों की अच्छी समझ और आचरण

बैठक का स्थान, और उसे बाहर रखने के लिए। '

61. प्रिवी काउंसिल ने उसी निर्णय में आगे बढ़कर

निम्नलिखित रूप में ध्यान दें:

..... वह सिद्धांत जिस पर निहित शक्ति दी गई है

मान ली गई आवश्यकता। यह आवश्यकता उन्हें दिखाई देती है प्रभुता की पूरी अवधि तक विस्तार करने के लिए

पाठ्यक्रम में विधानसभा की विशेष बैठक या बैठक

जिसका अपराध किया गया हो सकता है। ऐसा लगता है।

उचित रूप से आवश्यक है कि कुछ महत्वपूर्ण अंतराल

अपराधी, के अवसादन के लिए अवसर देने के लिए गर्मी और जुनून, और द्वारा अपने स्वयं के आचरण पर प्रतिबिंब के लिए

निलंबित व्यक्ति; और न ही सामान्य रूप से कुछ भी कम होगा

के अधिकार और गरिमा की पुष्टि के लिए पर्याप्त

सभा। ..... "

(जोर दिया गया)

ये अवलोकन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण और उपयुक्त हैं -

विचाराधीन मुद्दा। और हमें इसे अपनाने के पक्ष में झुकना चाहिए। चूंकि यह व्याख्या इस तथ्य को मान्यता देती है कि विधानमंडल की निहित या अंतर्निहित शक्ति को केवल उस सीमा तक गिना जाना चाहिए जो चल रहे सत्र के दौरान अपने कार्य के प्रभावी और व्यवस्थित संचालन के लिए सदन द्वारा किए जाने की आवश्यकता है, न कि उससे आगे। प्रिवी काउंसिल द्वारा निम्नलिखित शब्दों में इसकी अधिक जोरदार व्याख्या की गई है:

" इसलिए, दोषी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसी की निरंतरता के दौरान बाधा या अव्यवस्थित आचरण

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान बैठक, उनके प्रभुता के निर्णय में, उचित रूप से है

किसी भी कार्य के उचित अभ्यास के लिए आवश्यक इस तरह की विधान सभा; और यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, कि

उचित आवश्यकता का वही सिद्धांत एक को अधिकृत करेगा

विधानसभा के मनमाने विवेक से, लेकिन अपनी मर्जी से डिफ़ॉल्ट) कुछ और समय के लिए। ..... "

सामान्य आवश्यकता के सिद्धांत से यथोचित रूप से निष्कर्षण योग्य, वे के बीच एक सरल व्यावहारिक रेखा खींचने का लाभ है

विधानसभा की ओर से रक्षात्मक और दंडात्मक कार्रवाई। एक शक्ति।

स्वयं सभा की, स्वयं की आवश्यकता से अधिक है ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षा की आवश्यकता है और यह खतरनाक रूप से उत्तरदायी है।

अधिकता या दुरुपयोग के संभावित मामले। ..... '

(जोर दिया गया)

62. बार्टन में किए गए विश्लेषण का सार इसके बारे में है

एक सदस्य को निलंबित करने की आवश्यकता के पीछे तर्क और तर्कसंगतता। इसने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि बैठक के दौरान सदन में अपने कार्य का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए विधानमंडल के आत्म-सुरक्षात्मक तंत्र के माध्यम से इसे अस्थायी माना जाना चाहिए। इसी कारण से, नियम 53 एक श्रेणीबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, अर्थात्, पहले अवसर पर, अध्यक्ष सदस्य को शेष दिन के लिए निलंबित कर सकता है और यदि उसी सत्र में दुर्व्यवहार दोहराया जाता है-शेष सत्र के लिए। बार्टन में टिप्पणियाँ "एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता के इस तर्क को सुदृढ़ करेंगी, जो इस प्रकार हैः

..... " निलंबन "अस्थायी होना चाहिए; शब्द", से निलंबित

सदन की सेवा, उन्हें संदर्भित करके संतुष्ट की जा सकती है

उस विशेष अवधि के दौरान सदन में सदस्य की उपस्थिति बैठा हुआ है। इतना कि निलंबन करने के लिए यह आवश्यक है

प्रभावी, अधिक नहीं है। ..... '

(जोर दिया गया)

75 फुटनोट संख्या 9 पर ऊपर दिया गया है

76 फुटनोट संख्या 9 आशीष शेलर एंड ओआरएस पर ऊपर दिया गया है।

63. इस निर्णय के आलोक में, यह पालन करना चाहिए कि केवल एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण ही एक तर्कसंगत और तार्किक दृष्टिकोण का सार है; और केवल

विधानमंडल की ऐसी कार्रवाई जो चल रहे सत्र के अपने अनुसूचित कार्य के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है, को तर्कसंगत दृष्टिकोण माना जा सकता है। सत्र से परे निलंबन न केवल संबंधित सदस्य को दंडित करने पर सीमित होगा, बल्कि अनिवार्य रूप से उस निर्वाचन क्षेत्र के वैध अधिकारों को भी प्रभावित करेगा जहां से सदस्य चुना गया था।

64. लॉरेंस जोसेफ हार्नेट के मामले में, सवाल

यह स्थायी आदेश को चुनौती देने के बारे में था जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थेः

" जब भी यह निर्णय या निर्णय लिया गया होगा (चाहे वह इस स्थायी आदेश के अनुमोदन से पहले हो या बाद में) कि सदन किसी ऐसे मामले पर आगे नहीं बढ़ सकता है जो सदन में शुरू किया गया है। किसी सदस्य के कथित कदाचार को प्रभावित करते हुए, क्योंकि इस प्रकार उक्त सदस्य आपराधिक मुकदमे में पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है, फिर इस तरह के कदाचार पर आधारित आरोपों पर लंबित, सदन ऐसे सदस्य को सदन की सेवा से तब तक निलंबित कर सकता है जब तक कि

जूरी को वापस कर दिया गया है, या जब तक कि इसे आगे आदेश नहीं दिया जाता है।

इस स्थायी आदेश को राज्यपाल ने मंजूरी दी। उस में

संदर्भ में, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि अदालत के लिए यह घोषित करना असंभव लगता है कि सदन अपने फैसले में इतना गलत था, और

स्थायी आदेश और उस पर स्थापित प्रस्ताव अधिनियम द्वारा विचार किए गए उद्देश्य के लिए इतना विदेशी है, ताकि सदस्य के खिलाफ कार्यवाही को अमान्य घोषित किया जा सके। दूसरे शब्दों में, प्रिवी काउंसिल एक पर विचार कर रही थी लिखित स्थायी आदेश और इसकी प्रभावकारिता।

अपने सदस्य के निलंबन से संबंधित तंत्र के लिए। निस्सन्देह, भारत में विधानमंडलों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का स्रोत यहाँ से प्राप्त होता है संसद के मामले में अनुच्छेद 105 (3) और राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद 194 (3)। ऐसी शक्तियों को परिभाषित करने के लिए एक कानून के अभाव में और

विशेषाधिकार, अब तक, यह केवल उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में मौजूद थीं

66. संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित सर थॉमस एर्स्किन मे78 के प्रसिद्ध ग्रंथ में, यह निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया गया हैः 77 फुटनोट पर ऊपर No.66

78 संसद की विधि, विशेषाधिकार कार्यवाही और उपयोग, पंद्रहवाँ (1950) संस्करण (पृष्ठों 451-452 पर "सदस्य के नामकरण पर कार्यवाही" शीर्षक के तहत अध्याय VII देखें।)

" यदि बाद के अवसर के लिए, सदन द्वारा किसी आदेश की चूक में कि सदस्य का निलंबन समाप्त हो जाएगा जब सदन

आदेश देता है कि वह ऐसा करेगा, निलंबन के लिए होगा सत्र का शेष भाग "।

(जोर दिया गया)

उन्होंने तब नोट किया कि पहले या बाद के अवसर का मतलब होगा

उसी सत्र में पहला या बाद का अवसर।

67. इसके अलावा, यूनाइटेड किंगडम में प्राप्त स्थिति

अपने सदस्यों को निलंबित करने का समय सदन द्वारा शासित था

सार्वजनिक व्यवसाय से संबंधित स्थायी आदेश 1948। प्रासंगिक

लिंग क्रम संख्या 22 (1 से 4) है जैसा कि नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 22. बहस में आदेश दें। — (1) जब भी कोई सदस्य रहा होगा

सभापति या सभापति द्वारा नामित, इसके तुरंत बाद

के अधिकार की अवहेलना करने का अपराध करना

कुर्सी, या लगातार और जानबूझकर के व्यवसाय में बाधा डालना

सदन के नियमों का दुरुपयोग करके, या अन्यथा, तब,

यदि सदन में ऐसे सदस्य द्वारा अपराध किया गया है, अध्यक्ष महोदय तुरंत एक प्रस्ताव पर प्रश्न रखेंगे।

कोई संशोधन, स्थगन या बहस की अनुमति नहीं दी जा रही है, "कि

यदि अपराध पूरी समिति में किया गया है सदन, अध्यक्ष की कार्यवाही को तुरंत निलंबित कर देगा

समिति और सदन को परिस्थितियों की रिपोर्ट करना; और

बीसवें दिन तक दूसरा अवसर, जिस पर सदन उस दिन के बाद बैठें जिस दिन उन्हें निलंबित किया गया था, लेकिन उसके बाद के किसी भी दिन

अवसर जब तक सदन यह संकल्प नहीं करता है कि इस तरह का निलंबन

सदस्य समाप्त हो जाते हैं। (3) एक समय में एक से अधिक सदस्यों को नामित नहीं किया जाएगा।

जब तक कि दो या दो से अधिक सदस्य एक साथ उपस्थित न हों, संयुक्त रूप से

कुर्सी के अधिकार की अवहेलना की।

आशीष शेलर और हमारा। वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(4) यदि कोई सदस्य, या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले दो या दो से अधिक सदस्य, जिन्हें इस आदेश के तहत सदन की सेवा से निलंबित कर दिया गया है, श्री अध्यक्ष के निर्देश का पालन करने से इनकार कर देंगे, जब श्री अध्यक्ष के आदेश के तहत सार्जेंट द्वारा अलग-अलग बुलाए जाने पर।

अध्यक्ष महोदय ऐसे निर्देश का पालन करने के लिए सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करेंगे कि बल का सहारा लेना आवश्यक है।

उनके निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर करने का आदेश, और उनके द्वारा नामित सदस्य या सदस्यों ने उनके निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्हें सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा और बिना किसी प्रश्न के शेष अवधि के दौरान सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा।

सत्र "।

उपर्युक्त उपखंड (2) और (4) के संयुक्त पठन पर-उद्धृत

स्थायी आदेश संख्या 22 में यह देखा गया है कि पहले अवसर पर किसी सदस्य का निलंबन पांच दिनों की अवधि या शेष सत्र, जो भी पहले हो, के लिए हो सकता है। यहां तक कि दूसरे अवसर के लिए भी निलंबन की अवधि केवल बीस दिन या सत्र के शेष, जो भी पहले हो, है। बाद के किसी भी अवसर पर निलंबन की अवधि तब तक होगी जब तक कि सदन यह संकल्प नहीं कर लेता कि ऐसे सदस्य का निलंबन समाप्त हो जाता है।

68. उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सुशांत कुमार चंद के मामले में कहा था कि

अवमानकर्ता को सात दिन के साधारण कारावास के लिए हिरासत में रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी वारंट के मामले से निपटने का अवसर। यह आग्रह किया गया था कि चूंकि सजा की अप्राप्त अवधि से परे थी

सदन के सत्र का कार्यकाल, वही कानून में समाप्त हो गया था। उच्च न्यायालय ने सर थॉमस एर्स्किन मे और हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के मार्ग पर ध्यान देने के बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में चुनौती का जवाब दिया। सर थॉमस एर्स्किन मे के संसदीय अभ्यास ने उस निर्णय में भरोसा किया, इस प्रकार व्याख्या करता हैः

" कॉमन्स द्वारा प्रतिबद्ध व्यक्ति, यदि जल्द ही छुट्टी नहीं दी जाती है

सदन द्वारा, सत्रावसान पर उनके कारावास से तुरंत रिहा कर दिया जाता है, चाहे उन्होंने शुल्क का भुगतान किया हो या नहीं। यदि उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता, तो उन्हें रिहा कर दिया जाता। बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट पर अदालतें।

और इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानून ने उसी निर्णय में इस प्रकार अवलोकन कियाः 79 फुटनोट No.10 [2022] 18 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

" लॉर्ड्स एक के लिए एक अपराधी को करने की शक्ति होने का दावा करते हैं एक सत्र की अवधि से परे भी निर्दिष्ट अवधि। यह कोर्स

पहले भी कॉमन्स द्वारा पीछा किया गया था लेकिन बाद में

छोड़ दिया गया; और अब ऐसा लगता है कि उनके पास अब नहीं है

अपराधी को अवधि से आगे जेल में रखने की शक्ति सत्र।

(जोर दिया गया)

विशेषाधिकार हनन के लिए सभी उपायों को सीमित करने का तर्क,

नियम, उस सत्र के लिए जिसमें सदन इस तरह के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करता है, सत्रावसान का प्रभाव है। एर्स्किन मे के ट्रीटीज 80 के अनुसार, यह निम्नानुसार कहा गया है:

उस समय कॉमन्स द्वारा महाभियोग को छोड़कर रद्द कर दिया जाता है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष अपील करते हैं। इसलिए प्रत्येक बिल अनिवार्य है।

सत्रावसान के बाद नवीनीकरण किया जाए, जैसे कि इसे कभी पेश नहीं किया गया था।

(जोर दिया गया)

69. अप्रियोरी, यदि विधानमंडल तंत्र से अलग होने का इरादा रखता है

नियम 53 में उल्लिखित, इसे उस व्यवस्था के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान करना चाहिए था। यदि उसने ऐसा किसी कानून द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियमों के रूप में किया था, तो वैधता और संवैधानिकता

इसका परीक्षण किया जा सकता था। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि इसके अभाव में, यह अनिवार्य रूप से बिना किसी स्पष्ट अनुदान के शक्ति का प्रयोग होगा। ध्यान दें। ऐसे मामले में, शक्ति का प्रयोग केवल निहित या अंतर्निहित हो सकता है और सामान्य आवश्यकता के तर्क तक सीमित हो सकता है, जिसके लिए उचित रूप से आवश्यक आत्मरक्षा या आत्मरक्षा कार्रवाई की जा सकती है।

चालू सत्र के दौरान सदन के कार्यों का अभ्यास।

एक दिन के लिए या चल रहे सत्र के शेष भाग के लिए कुछ भी अधिक होना, अंतर्निहित शक्ति का बहुत कम तर्कसंगत प्रयोग आवश्यक नहीं होगा।

सभा से। यहां तक कि नियम 53 अध्यक्ष को केवल सदन के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। यही तर्क सदन द्वारा अंतर्निहित सीमित शक्ति के प्रयोग पर लागू होना चाहिए, भले ही यह नियम 53 के तहत वास्तविक न हो। 80 1950 पृष्ठ 32 पर "सत्रावसान का प्रभाव" शीर्षक के तहत संस्करण आशीष शेलर और ओआरएस।

70. यह ध्यान देने योग्य है कि यदि यह 1951 के अधिनियम की धारा 151 ए के संदर्भ में सदन द्वारा सदस्य के निष्कासन का मामला होता, तो चुनाव

आयोग कार्रवाई करेगा और इसके बजाय कदम उठाने के लिए बाध्य होगा

इस प्रकार की रिक्तता को भरने के लिए छह महीने के बाद नहीं, बशर्ते कि उसमें परंतुक में निर्दिष्ट स्थिति हो-ताकि निर्वाचन क्षेत्र का जल्द से जल्द सदन में विधिवत प्रतिनिधित्व किया जा सके। स्वीकृत रूप से, विधान सभा राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों का एक समूह है (अनुच्छेद 170 के अनुसार)। इसका अनुमान है कि सभी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र

निरंतरता में विधानसभा में विधिवत प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, सत्र के दौरान सदन के व्यवस्थित कामकाज के लिए आवश्यक से अधिक अवधि के लिए उनके प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए

कारण, संसदीय कानून 81 द्वारा अभिनिर्धारित वैधानिक अधिदेश (जिसे उच्च कानून के रूप में माना जाना चाहिए और इस पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है

विधायिका को भी, जैसा कि न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति 82 में समझाया गया है), आकस्मिक स्थिति के कारण निर्वाचन क्षेत्र को सीमित अवधि से अधिक सदन में प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, निष्कासित सदस्य मध्यावधि चुनाव लड़ने और उसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित होने के लिए स्वतंत्र होगा। इसमें, सदस्य को सदन द्वारा निष्कासन या यहां तक कि हटाने के कारण कोई अयोग्यता नहीं होती है। सत्र की शेष अवधि से अधिक के निलंबन के मामले में या

साठ दिन या छह महीने, जैसा भी मामला हो, भले ही सदस्य द्वारा अयोग्यता का मामला न हो, लेकिन यह अनुचित होगा।

1959 में एम. एस. एम. शर्मा 83 में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रभावकारिता पर ध्यान दें-कि संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियमों का प्रभाव संविधान के अनुच्छेद 21 के उद्देश्य के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रभाव होगा। 81 1951 के अधिनियम 82 की धारा 151 ए फुटनोट No.33 (पैरा 61) 83 फुटनोट No.11 [2022] 18 एस. सी. आर. में ऊपर दी गई है।

बाद के निर्णयों में संविधान और किस उक्ति का लगातार पालन किया गया है, जिसमें संविधान पीठ भी शामिल है जो इस पर विचार करती है।

राजा राम पाल 84 के मामले में। तदनुसार, उत्तरदाताओं द्वारा सेवा में लगाए गए निर्णय मामले को आगे नहीं ले जा सकते हैं। प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय सहित अन्य निर्णयों पर भरोसा किया है, हालांकि, जिसकी वैधता और प्रभावकारिता से निपटने का कोई अवसर नहीं मिला है।

सदन द्वारा जारी निर्देश या आदेश जैसे कि विधिवत निर्वाचित सदस्यों को उसी सत्र के शेष की अधिकतम अवधि के बजाय एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित करने का विवादित प्रस्ताव। वास्तव में, मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय वी. सी. चंदिरा कुमार, सदस्य विधान सभा ने विधानसभा को कम करने का प्रस्ताव रखा

एक वर्ष से छह महीने की मूल अवधि वैध है, हालांकि, इस दृष्टिकोण के लिए कि हमने लिया है, उक्त निर्णय का कोई फायदा नहीं होगा। 72. नतीजतन, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विवादित प्रस्ताव असंवैधानिक, पूरी तरह से अवैध और संबंधित (चल रहे) सत्र के शेष भाग से परे निलंबन की अवधि की सीमा तक तर्कहीन होने के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है। इसके अलावा, यह संविधान के अनुच्छेद 212 (1) के अर्थ के भीतर विधानमंडल द्वारा की गई केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता का मामला नहीं है।

73. हालांकि पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील ने विभिन्न तर्क उठाए थे, लेकिन हमें आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है कि

सदन की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, सदस्यों का निलंबन, किसी भी मामले में, चल रहे सत्र की शेष अवधि से अधिक नहीं हो सकता था। संबंधित सत्र बहुत पहले जुलाई 2021 में समाप्त हो गया था, याचिकाओं को सफल होना चाहिए और इस घोषणा के साथ निपटाया जा सकता है कि चल रहे सत्र के शेष भाग के बाद निलंबन, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था, अमान्य, असंवैधानिक और घोर अवैध है और अविवेकी। इसे संबंधित सत्र की शेष अवधि से आगे प्रभावी नहीं किया जा सकता है और कानून की नजर में उस अवधि के बाद इसे गैर-प्रभावी माना जाना चाहिए। इस कारण से, हमारे लिए मामले के अन्य पहलुओं पर विस्तार करना अनावश्यक है। इसलिए, हम इसकी जांच नहीं करना चाहते हैं।

उपाख्यानः

74. यह रेखांकित करना अनावश्यक है कि संसद के साथ-साथ

राज्य विधान सभा को पवित्र स्थान माना जाता है, जैसे कि

84 फुटनोट पर ऊपर No.14 85 फुटनोट No.23 आशीष शेलर एंड ओआरएस पर ऊपर दिया गया है।

न्याय के मंदिर के रूप में न्यायपालिका। वास्तव में, आम आदमी को न्याय देने का पहला स्थान संसद/विधानमंडल है

विधानसभा भले ही एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा हो। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए नीतियां और कानून प्रस्तावित किए जाते हैं। यही वह जगह है जहाँ अंतिम मील तक जनता से संबंधित गतिविधियों की पूरी श्रृंखला पर चर्चा की जाती है और उनकी नियति को आकार दिया जाता है। यह अपने आप में इस देश के नागरिकों को न्याय देने की प्रक्रिया है। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ राष्ट्र/राज्य के सामने ज्वलंत मुद्दों को हल करने और न्याय प्रदान करने के लिए-राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक-सत्य और धार्मिकता की सर्वोच्च परंपराओं से प्रेरित मजबूत और निष्पक्ष बहस और चर्चा होनी चाहिए। सदन में घटित घटनाएँ समकालीन सामाजिक ताने-बाने का प्रतिबिंब हैं। समाज के व्यवहार का स्वरूप समाज की विचार प्रक्रिया और कार्यों में प्रकट या प्रतिबिंबित होता है। बहस के दौरान सदन के सदस्य। यह सार्वजनिक क्षेत्र (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से) में है कि राज्य की संसद या विधानसभा/परिषद के सदस्य अधिकांश समय शत्रुतापूर्ण स्थिति में बिताते हैं।

वातावरण। संसद/विधान सभा अधिक से अधिक कठोर स्थान बनती जा रही है। दार्शनिक सिद्धांत, जिसे असहमत होने के लिए सहमत होना चाहिए, वह बहस के दौरान एक दुर्लभ दृश्य या दुर्लभता बन रहा है। यह सुनना आम बात हो गई है कि सदन अपना सामान्य निर्धारित कार्य पूरा नहीं कर सका और अधिकांश समय प्रतिष्ठित निकाय की सर्वोच्च परंपरा के अनुरूप विद्वतापूर्ण रचनात्मक और शैक्षिक बहसों के बजाय एक-दूसरे का मजाक उड़ाने और व्यक्तिगत हमलों में बिताया गया था। यह आम आदमी के बीच लोकप्रिय भावना है। यह पर्यवेक्षकों के लिए निराशाजनक है। वे ईमानदारी से महसूस करते हैं कि यह सही समय है कि सभी संबंधित लोगों द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाएं और निर्वाचित प्रतिनिधि उच्चतम क्रम की बौद्धिक बहसों के गौरव और मानक को बहाल करने के लिए पर्याप्त प्रयास करेंगे, जैसा कि उनके पूर्ववर्तियों के इतिहास में बताया गया है। उस विरासत को अक्सर होने वाले रम्पस की तुलना में अधिक प्रमुख होना चाहिए। बहस के दौरान आक्रामकता का कानून के शासन द्वारा शासित देश की व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि एक जटिल मुद्दे को भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सामूहिकता का पालन करके और उसके प्रति पूरा सम्मान और सम्मान दिखाकर हल करने की आवश्यकता है। एक-दूसरे। उन्हें सदन के गुणवत्तापूर्ण समय का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए, जो बहुत मूल्यवान है और समय की आवश्यकता है, विशेष रूप से जब हम भारत के लोग जो भारत हैं, ग्रह पर सबसे पुरानी सभ्यता होने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र (जनसांख्यिकीय रूप से) होने का श्रेय लेते हैं। विश्व नेता और आत्मनिर्भर बनने के लिए, सदन में बहस की गुणवत्ता [2022] 18 एस. सी. आर. की होनी चाहिए।

सर्वोच्च क्रम और देश/राज्यों के आम आदमी के सामने आंतरिक संवैधानिक और देशी मुद्दों की ओर निर्देशित, जो अर्ध-डेढ़ सौ साल के चौराहे पर हैं या हम स्वतंत्रता के बाद 75 साल पूरे होने पर प्लैटिनम या हीरक जयंती वर्ष कह सकते हैं। सम्मानित और सम्मानित सदस्यों का सदन होने के नाते, जो अपने उत्साही अनुयायियों द्वारा अनुकरण किए जाते हैं और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, वे हैं

घर को। लेकिन, वह कार्रवाई संवैधानिक, कानूनी, तर्कसंगत और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। इस मामले ने तूल पकड़ा है सभी संबंधित लोगों के लिए इस बात पर विचार करने का अवसर है कि वे प्रतिष्ठित निकाय के अनुकूल अच्छी प्रथाओं को विकसित करने और उनका पालन करने की आवश्यकता पर विचार करें और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा सदन में अलोकतांत्रिक गतिविधियों के समर्थकों की उचित रूप से निंदा और हतोत्साहित करें। हम और नहीं कहते हैं।

निष्कर्षः

75. अंत में, हमें इन रिट याचिकाओं को स्वीकार करने और यह घोषणा करने में कोई संकोच नहीं है कि जुलाई 2021 में आयोजित संबंधित मानसून सत्र की शेष अवधि से आगे याचिकाकर्ताओं के निलंबन का निर्देश देने वाला विवादित प्रस्ताव कानून की नजर में अमान्य, अमान्य, असंवैधानिक, मूल रूप से अवैध और तर्कहीन है। द इम्पाग्ड

इस प्रकार, प्रस्ताव को कानून में अप्रभावी घोषित किया जाता है, जहां तक कि उक्त सत्र के शेष भाग से परे की अवधि जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था।

आदेशः

76. कथित घोषणा के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता विधानमंडल के सदस्य होने के सभी परिणामी लाभों के हकदार हैं।

सभा, शेष अवधि की समाप्ति पर और उसके बाद

जुलाई 2021 में संबंधित सत्र। रिट याचिकाओं को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी गई है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

पोस्टस्क्रिप्टः

77. विदा लेते समय, हमें उनकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दी गई सक्षम सहायता के लिए प्रशंसा व्यक्त करने की आवश्यकता है। संबंधित पक्ष हमें जटिल मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाते हैं।

आशीष शेलर और ओआरएस। वी. महाराष्ट्र विधायी सभा और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

कि उन्होंने आभासी अदालत की सुनवाई में ऑनलाइन बातचीत ए की बाधाओं और अनिश्चितता के बावजूद किया।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

निधि जैन और अमरेंद्र कुमार (बोधे रामटेके, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)